प्रकाशन संख्या 493

बिहार विधान–सभा

सत्यमेव जयते

लोक लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या – 483

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य–निषेध विभाग से संबंधित सी०ए०जी० के अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2001–02–3.02, वर्ष 2003–04–13.2, 3.3, वर्ष 2004–05–3.2.3.3, 2005–06–13.2.1, 3.2.2, 3.3, वर्ष 2006–07–3.2.1, 3.2.2, 3.3.2, 3.3.3, 3.7 एवं 2007–08–3.3.1, 3.4.42 लोक लेखा समिति का **483**वाँ प्रतिवेदन ।

दिनांक...को सदन में उपस्थापित ।

विषय–सूची

पृष्ठ संख्या

1. लोक लेखा समिति वर्ष (2011–12) (मुख्य) .. क
2. लोक लेखा समिति की उप–समिति (4) .. ख
   वर्ष 2011 – 2012
3. सभा सचिवालय के पदाधिकारीगण–कर्मचारीगण, प्रधान महालेखाकार कार्यालय के पदाधिकारीगण एवं वित्त विभाग के पदाधिकारीगण ग
4. प्राक्कथन .. .. ड.

प्रतिवेदन (वर्ष)	कंडिका	––
2001–02 (रा०प्रा०)	3.02	1–7
2003–04 (रा०प्रा०)	3.2, 3.3	7–9
2004–05 (रा०प्रा०)	3.2, 3.3	9–14
2005–06 (रा०प्रा०)	3.2.1, 3.2.2, 3.3	14–17
2006–07 (रा०प्रा०)	3.2.1 एवं 3.2.2	17–20
	3.3.2 एवं 3.3.3, 3.7	
2007–08 (रा०प्रा०)	3.3.1 एवं 3.4	20–24

बिहार विधान–सभा सचिवालय

लोक सेवा समिति वित्तीय वर्ष 2011–12 पंचदश विधान–सभा ।

सभापति

श्री ललित कुमार यादव	स०वि०स०

सदस्यगण

श्री राजेश सिंह	स०वि०स०
श्री रामचन्द्र सहनी	स०वि०स०
श्री अनिरुद्ध प्रसाद यादव	स०वि०स०
श्री अशोक कुमार	स०वि०स०
श्री मंजीत कुमार सिंह	स०वि०स०
श्री अभिराम शर्मा	स०वि०स०
श्री अनन्त कुमार सत्यार्थी	स०वि०स०
श्री विनोद नारायण झा	स०वि०स०
श्रीमती उषा सिन्हा	स०वि०स०
श्री कृष्णनन्दन यादव	स०वि०स०
श्री मनोहर प्रसाद सिंह	स०वि०स०
श्री राणा गंगेश्वर सिंह	स०वि०स०
श्री नीरज कुमार	स०वि०प०
मो० हारूण रसीद	स०वि०प०
डॉ० राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	स०वि०प०
श्री केदार नाथ पाण्डेय	स०वि०प०

लोक लेखा समिति की उप–समिति (4)

वित्तीय वर्ष 2011–2012

सभापति

श्री ललित कुमार यादव	स०वि०स०

संयोजक

श्री विनोद नारायण झा	स०वि०स०

सदस्यगण

श्री मनोहर प्रसाद सिंह	स०वि०स०
श्री राजेश सिंह	स०वि०स०
श्री केदार नाथ पाण्डेय	स०वि०प०

बिहार विधान–सभा सचिवालय

श्री लक्ष्मीकांत झा	प्रभारी सचिव
श्री हरेराम मुखिया	उप–सचिव
श्री ताराचन्द रजक	अवर–सचिव
श्री भूदेव राय	अवर–सचिव
श्रीमती अनुपमा प्रसाद	प्रशाखा पदाधिकारी
श्री छोटे पासवान	वरीय लिपिक
श्री उमा शंकर यादव	वरीय लिपिक
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह	कनीय लिपिक

प्रधान महालेखाकार कार्यालय

श्री प्रेमन दिनाराज	प्रधान महालेखाकार
श्री अनिल कुमार वर्मा	वरीय लेखा परीक्षा पदाधिकारी

वित्त–विभाग

श्री संजीवन सिन्हा	संयुक्त सचिव
श्री अशोक प्रियदर्शी	उप–सचिव

प्राक्कथन

मैं, सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से 'निबंधन' उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2001–02, 2003–04, 2004–05, 2005–2006, 2006–2007 एवं 2007–2008 (रा०प्रा०) की कंडिका आपत्तियों पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या 483 वां प्रस्तुत करता हूँ ।

उक्त प्रतिवेदन दिनांक 28 मार्च, 2012 को लोक लेखा समिति (मुख्य) की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है । लोक लेखा समिति की उप–समिति (4) की विभाग के साथ कुल पाँच बैठक हुई हैं ।

प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में प्रधान महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग के प्रतिनिधि से समिति को जो वांछित सहयोग मिला है, जिसके लिए मैं अपनी तथा समिति की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूँ ।

सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण द्वारा प्रतिवेदन तैयार करने में समिति को जो सहयोग प्रदान किया गया है, वह सराहनीय है इसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ ।

समिति के माननीय सदस्यों द्वारा अपना बहुमूल्य, समय देकर प्रतिवेदन को तैयार करने में जो सहयोग प्रदान किया गया है, मैं उसके लिए उनका आभारी हूँ और इस कार्य हेतु मैं उन्हें सहृदय धन्यवाद देता हूँ ।

ललित कुमार सिंह,
सभापति,
लोक लेखा समिति,
बिहार विधान–सभा पटना ।

पटना :
दिनांक 28 मार्च, 2012 ।

सी०ए०जी० प्रतिवेदन (रा०प्रा०) वर्ष 2001–02 (पृ०सं० 32 द्रष्टव्य) की कंडिका आपत्ति – 3.02

3.02 उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं होने के कारण राजस्व हानि

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन देशी शराब, विदेशी शराब तथा मशालेदार देशी शराब की खुदरा बिक्री हेतु उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्ति समाहर्ता द्वारा निर्धारित मूल्य पर नीलामी के माध्यम से वार्षिक रूप से बंदोबस्त की जाती है । जब किसी मामले में नियत अपसेट/रक्षित शुल्क प्राप्त न हो तो समाहर्ता स्वविवेक से कम शुल्क स्वीकार कर सकते हैं बशर्ते उत्पाद आयुक्त द्वारा इसकी अनुमति दे दी जाय। विभाग ने सभी समाहर्ताओं/उपायुक्तों को अबंदोबस्त उत्पाद दुकानों को विभागीय स्तर पर संचालित करने का निर्देश भी जारी किया (जून 1995) ।

19 उत्पाद जिलों में 173 देशी शराब, 22 भारत निर्मित विदेशी शराब (भा०नि०वि०श०) तथा 162 मसालेदार देशी शराब की दुकानें वर्ष 1998–99 तथा 2000–01 के दौरान अबंदोबस्त रही । दुकानों को न ही रक्षित शुल्क से कम पर बंदोबस्त करने का कोई प्रयास किया गया और न ही विभागीय स्तर पर चलाने का । इसके फलस्वरूप अनुज्ञा शुल्क, उत्पाद शुल्क के रूप में 15.36 करोड़ रुपये के उत्पाद राजस्व की हानि हुई ।

इन्हें बताए जाने पर (मार्च 2001 और फरवरी 2002 के मध्य) विभाग ने कहा (मार्च 2001 और फरवरी 2002 के मध्य) कि सारे प्रयत्नों के बावजूद डाककर्ताओं के अभाव में दुकाने बंदोबस्त नहीं हो सकी । उत्पाद अधीक्षक, नालंदा ने बताया (जुलाई 2001) कि उत्पाद आयुक्त के सचिव को दुकान को विभाग द्वारा चलाने के संबंध में निर्देश देने का अनुरोध किया गया लेकिन कोई निर्देश नहीं मिला । विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि डाककर्ताओं के अभाव में दुकानों को विभाग द्वारा चलाने या रक्षित शुल्क से कम पर उन्हें बंदोबस्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया । इसके अतिरिक्त समाहर्ता/उपायुक्त दुकान को विभाग द्वारा चलाने के लिए अधिकृत थे ऐसा करने के लिए उनको किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी ।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मई 2002) उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2002) ।

विभागीय स्पष्टीकरण

(1) अधीक्षक उत्पाद, गोपालगंज––गोपालगंज जिला में वर्ष 1998–99 में दे०श० की 1, वि०श० की 2 एवं म०दे०श० की 19 दुकानों अबन्दोबस्त थी । इसी प्रकार वर्ष 2000–01 में दे०श० की 2 एवं म०दे०श० की 5 दुकानों अबन्दोबस्त थी । उक्त दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु शतत् प्रयास किया गया किन्तु दुकानें बन्दोबस्त नहीं हो सकी । अबन्दोबस्त दे०श० की दुकान करकच माधोपुर के लिए 16,000.00 का एक मात्र ऑफर प्राप्त हुआ, जिसे समाहर्ता, गोपालगंज के द्वारा विभागीय अनुमोदन हेतु भेजा गया, लेकिन ऑफर बहुत कम रहने के कारण विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया । शेष अन्य अबन्दोबस्त दुकानों के लिए कोई भी ऑफर प्राप्त नहीं हुआ और न ही कोई उम्मीदवार ही उपस्थित हुए ।

(2) अधीक्षक उत्पाद, नवादा––नवादा जिला में वित्तीय वर्ष 1998–99 में दे०श० की 12, म०दे०श० की 10 एवं वित्तीय वर्ष 2000–01 में दे०श० की 5 म०दे०श० की 4 दुकान अबन्दोबस्त थी । उक्त दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु अनेकों बार बिक्री अधिसूचना जारी की गयी है, तथा प्रत्येक मंगलवार को भी दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु तिथि निर्धारित की गयी लेकिन कोई भी इच्छुक उम्मीदवार बन्दोबस्ती हेतु उपस्थित नहीं हुए । इसका कारण दुकान का अलाभकर होना भी है । दुकानों को लेने हेतु कोई भी इच्छुक उम्मीदवार उपस्थित नहीं होने के कारण अबन्दोबस्त दुकानों का रक्षित शुल्क घटाने हेतु विभाग में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ ।

(3) अधीक्षक उत्पाद, पू० चम्पारण––वित्तीय वर्ष 1998–99 में पू० चम्पारण जिला में म०दे०श० की 4 दुकानें अबन्दोवस्त थी । जिसकी बन्दोबस्ती हेतु बिक्री अधिसूचना के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया । बन्दोबस्त नहीं होने पर अबन्दोबस्त दुकानों की रक्षित शुल्क पुनरीक्षित करने हेतु जिला पदाधिकारी, पू० चंपारण के पत्र सं० 555, दिनांक 9 मई, 1998 एवं पत्र सं० 754, दिनांक 17 जून, 1998 द्वारा प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुआ । जिसकी स्वीकृति विभागीय पत्र सं० 2009, दिनांक 19 सितम्बर, 1998 तथा पत्र के उपरांत बिक्री अधिसूचना निर्गत की गयी । लेकिन कोई क्रेता उपस्थित नहीं हो सकें ।

इसी प्रकार वर्ष 2000–01 में दे०श० की 2 दुकान तथा म०दे०श० की 5 दुकानें अबन्दोबस्त रही । इन दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु दिनांक 17 मार्च, 2000 से समय–समय पर दिनांक 06 मई, 2000 तक व्यापक प्रचार प्रसार किया गया । यहां तक कि पूर्व अनुज्ञाधारियों से भी संपर्क किया गया, लेकिन कोई क्रेता उपस्थित नहीं हो सके । दे०श० दुकान फूलवार तथा हीरमनी तथा म०दे०श० दुकान, लखौरा, घोड़ासहन तथा पकड़ी दयाल के अनुज्ञप्तियों के प्रत्यर्पण का प्रस्ताव समाहर्ता से प्राप्त हुआ । विचारोपरांत विभागीय पत्रांक 2561, दिनांक 8 मई, 2000 द्वारा दे०श० दुकान फूलवार एवं हीरमनी के प्रत्यर्पण की स्वीकृति अधिसूचना निर्गत की गयी । किन्तु दुकान वित्तीय वर्ष 1997–98, 1998–99 एवं 1999–2000 में काफी प्रयास के बाद भी बन्दोबस्त नहीं हो सकी ।

(4) अधीक्षक उत्पाद, कटिहार––वर्ष 1998–99 में इस जिला में दे०श० की 2, वि०श० की 1 एवं म०दे०श० की 3 दुकाने अबन्दोबस्त रही । उक्त दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु दिनांक 7 मार्च, 1998, 23 मार्च, 1998, 2 अप्रील 1998 6 अप्रील 1998 एवं 8 जून, 1998 को तिथि निर्धारित की गयी एवं बन्दोबस्ती हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया गया, फिर भी दुकानें बन्दोबस्त नहीं हो सकी ।

वित्तीय वर्ष 2000–01 में 1 दे०श० एवं 1 म०दे०श० की दुकान अबन्दोबस्त रही । बार–बार बिक्री अधिसूचना निर्गत करने पर भी उक्त दुकानों को रक्षित शुल्क घटाने का प्रस्ताव विभाग में प्राप्त हुआ । विभागीय पत्रांक 2167, दिनांक 18 नवम्बर, 2000, दिनांक 18 नवम्बर, 2000 द्वारा अमलाटोला म०दे०श० का रक्षित शुल्क घटाया गया, लेकिन फिर भी कोई क्रेता उपस्थित नहीं हुए । शरीफगंज दे०श० दुकान के लिए निर्धारित शुल्क एवं वार्षिक कोटा में 50 प्रतिशत कमी प्राप्त हुआ, लेकिन रक्षित शुल्क एवं कोटा में अत्यधिक कमी के कारण अनुमोदन नहीं किया गया । बार–बार उक्त दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु अथक प्रयास किया गया फिर भी दुकान बन्दोबस्त नहीं हो सकी ।

(5) जहानाबाद जिला––वर्ष 1998–99 में दे०श० की 4, वि०श० की 1 एवं म०दे०श० की 4 दुकान अबन्दोबस्त रही । इन दुकानों की बन्दोबस्ती करने हेतु दिनांक 25 मार्च, 1998, 30 मार्च, 1998, 24 अगस्त, 1998, 27 अगस्त, 1998 एवं 9 अक्तूबर, 1998 को तिथि निर्धारित की गयी ।

वर्ष 2000–01 में दे०श० की 3, एवं म०दे०श० की 1 दुकान अबन्दोबस्त रही । इन दुकानों की बन्दोबस्ती करने हेतु अनेकों बार बिक्री अधिसूचना निर्गत की गयी तथा तिथि निर्धारित की गयी । सप्ताह के प्रत्येक सोमवार का रक्षित शुल्क में संशोधन भी किया गया, लेकिन दुकान बंदोबस्त नहीं हो सकी ।

(6) मधुबनी जिला––वर्ष 1998–99 में दे०श० की 4, वि०श० की 1 एवं म०दे०श० की 6 दुकानें अबन्दोबस्त रही । इन दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु बिक्री अधिसूचना दिनांक 7 मार्च, 1998, 23 मार्च, 1998 तथा 10 जून, 1998 सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को बंदोबस्ती हेतु तिथि निर्धारित की गयी । काफी प्रयास के बाद भी दुकानों की बंदोबस्ती नहीं हो पायी । एक भी इच्छुक उम्मीदवार उपस्थित नहीं हो पाया ।

(8) सीवान जिला––इस जिले में वर्ष 1998–99 से वर्ष 2000–01 तक उत्पाद दुकानों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

दे०श०	स्वी० दुकानों की सं०	बंदो० दुकानों की सं०	अबदो० दुकानों की सं०
वर्ष 1998–99	55	35	20
वर्ष 1999–2000	55	47	08
म०दे०श०			
वर्ष 1998–99	52	33	19
वर्ष 1999–2000	52	43	09
वर्ष 2000–01	52	42	10
विदेशी शराब			
वर्ष 1998–99	59	59	00
वर्ष 1999–2000	59	59	00
वर्ष 2000–01	59	59	00

वर्ष 1999–2000 में अधीक्षक उत्पाद सीवान के पत्रांक 53, दिनांक 1 फरवरी, 1999 द्वारा बिक्री अधिसूचना निर्गत कर उसके बाद पत्रांक 103, दिनांक 10 मार्च, 1999, पत्रांक 568, दिनांक 14 सितम्बर, 1999 तथा किसी भी कार्य दिवस बंदोबस्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित की गयी, लेकिन दुकान बंदोबस्त नहीं हो सकी ।

वर्ष 2000–01 में उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती करने हेतु अधीक्षक उत्पाद, सीवान के पत्रांक 139, दिनांक 2 जून, 2000 द्वारा बिक्री अधिसूचना निर्गत की गयी । उसके बाद पत्रांक 184, दिनांक 14 मार्च, 2000 पत्रांक 206, दिनांक 27 मार्च, 2000 एवं लगातार पत्र निर्गत करते हुए अंतिम पत्रांक 712, दिनांक 19 अक्तूबर, 2000 तथा किसी भी कार्य दिवस को दुकान बदोबस्ती करने हेतु विज्ञप्ति किया गया । लेकिन दुकान बंदोबस्त नहीं हो सकी ।

(9) पटना जिला––वर्ष 2000–01 में उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती सुनिश्चित करने के निमित उनके कार्यालय के पत्रांक 1020, दिनांक 28 फरवरी, 2000, 1264, दिनांक 15 मार्च, 2000, 1355, दिनांक 25 मार्च, 2000, 1669, दिनांक 20 अप्रील, 2000, 2049, दिनांक 13 मई, 2000, 4910, दिनांक 28 अक्तूबर, 2000, 6700, दिनांक 22 दिसम्बर, 2000, 613, दिनांक 6 फरवरी, 2001, 1642, दिनांक 18 मार्च, 2001 द्वारा बिक्री अधिसूचना निर्गत की गयी एवं बंदोबस्ती का प्रयास किया गया । अथक प्रयास के बावजूद भी शेष अंबदोबस्त दुकानों की बंदोबस्ती नहीं हो सकी ।

शेष जिलों से सूचना अप्राप्त है ।

(10) मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय–सह–शेखपुरा––वर्ष 2001–02 में मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय–शेखपुरा जिलान्तर्गत शराब दुकानों की अलाभकर पाये जाने के कारण बंदोबस्ती होने में कठिनाई होती है । शराब दुकानों की बंदोबस्ती हेतु विभाग द्वारा बंदोबस्त लेने के इच्छुक व्यक्तियों से दबाव डालकर बंदोबस्ती कराई जानी है । दबाव के तहत दुकान की बंदोबस्ती करने के कारण निर्धारित एम०जी०क्यू० से कम शराब का उठाव नहीं ली जाने के बावजूद भी आगामी वर्ष में बंदोबस्ती हेतु इन दुकानों का रक्षित शुल्क एवं एम०जी०क्यू० पर 5 प्रतिशत बढ़ोत्तरी कर करने की दिशा निदेश के वजह से अलाभकर होती चली जाती है । फलतः निर्धारित मात्रा में उठाव नहीं होने की संभावना बनी रहती है । इन दुकानदारों को निर्धारित मात्रा में एम०जी०क्यू० का उठाव करने हेतु विभागीय स्तर पर नोटिस दिया जाता रहा है, परन्तु शराब दुकान अलाभकारी होने की स्थिति में विभागीय स्तर से की गई कार्रवाई भी सार्थक विरुद्ध नहीं हो सका । इन

व्यवहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत रखते हुए उक्त कंडिका को विलोपित किया जा सकता है ।

(11) रोहतास–सह–कैमूर––जिला उग्रवाद से प्रभावित होने के कारण बार–बार विज्ञापन निकालकर वृहद प्रचार एवं अथक प्रयास के बावजूद अधिकांश दुकानों को बंदोबस्त नहीं कराया जा सका । रक्षित शुल्क से कम राशि पर भी विभिन्न बिक्री अधिसूचना के उपरांत भी क्रेता उपस्थित नहीं हुए जिसके कारण दुकानें बंदोबस्त नहीं हो सकी । बंदोबस्ती हेतु यथोचित प्रयास किया गया है अतः कंडिकाओं के विलोपित करने हेतु अनुशंसा की जाती है ।

(12) प० चंपारण, बेतिया––वित्तीय वर्ष 98–99 के लिए बेतिया को देशी शराब की 54, विदेशी शराब की 33 एवं म०दे०श० की 36 दुकानें स्वीकृत की गयी थी । विभागीय निदेश के आलोक में देशी शराब की 30 विदेशी शराब की 25 एवं म०दे०श० की कुल 17 दुकानों को नवीकृत किया गया । शेष अबंदोबस्त दुकानों के लिए बिक्री अधिसूचना निर्गत कर बंदोबस्ती हेतु कई तिथियां निर्धारित की गयी तथा काफी प्रचार प्रसार किये गये जिसके फलस्वरूप देशी शराब की 1 तथा म०दे०श० की 4 दुकानें बंदोबस्त की गयी ।

रक्षित शुल्क को कम करने के बाद भी बंदोबस्ती हेतु प्रयास किये गये, फिर भी देशी शराब की 11, वि०श० की 2 एवं म०दे०श० की 5 दुकानें अंबदोबस्त रह गयी ।

वित्तीय वर्ष 00–01 के लिए भी स्वीकृत दे० शराब की 54 वि०श० की 33 एवं म०दे०श० की कुल 36 दुकानों के बंदोबस्ती हेतु नई बिक्री अधिसूचना तथा निर्गत किये गये तथा काफी प्रचार–प्रयास किया गया । इसके बाद भी देशी शराब की 12, वि०श० की 3 एवं म०दे०श० की 4 दूकानें पूरे वर्ष अबंदोबस्त रही । रक्षित शुल्क का पुनरीक्षण के बाद भी दुकानें इच्छुक उम्मीदवार के अभाव में अबंदोबस्त रही ।

इस प्रकार विभाग द्वारा राजस्व प्राप्ति हेतु यथोचित कार्रवाई की गयी है, अतएव कंडिका विलोपित करने की अनुशंसा की जाती है ।

(13) भागलपुर–सह–बांका––इस जिलों में वर्ष 2001–02 में विदेशी शराब की 2 देशी शराब की 1 म०दे०श० की 17 दुकानें अबंदोबस्ती रही थी । उपर्युक्त दुकानों की बंदोबस्ती सुनिश्चित कराने के लिए बार–बार बिक्री अधिसूचना निकालकर वृहत प्रचार–प्रयास एवं अथक प्रयास किये गये । इसके बावजूद इन दुकानों के बंदोबस्ती हेतु आवेदक उपलब्ध नहीं हो सके ।

अतः उपर्युक्त परिस्थिति में विभागीय प्रयास के आलोक में इस कंडिका को विलोपित करने की अनुरोध किया जाता है ।

(14) हाजीपुर (वैशाली)––अबंदोबस्त एवं अनुज्ञप्ति विखंडन के पश्चात अबंदोबस्त दुकानों की बंदोबस्ती हेतु भिन्न–भिन्न तिथियों यथा ज्ञापांक 869, दिनांक 1 अक्तूबर, 1998, 970, दिनांक 10 नवम्बर, 1998, 1269, दिनांक 30 सितम्बर, 2000 एवं 1334, दिनांक 25 अक्तूबर, 2000 को बिक्री अधिसूचना निकाला गया था, किन्तु दुकानों के अलाभकर होने के कारण एक भी नीलाम क्रेता बंदोबस्ती लेने हेतु उपस्थित नहीं हो सका ।

उपरोक्त के आलोक में कंडिका को विलोपित किया जा सकता है ।

(15) पूर्णियां––वर्ष 01–02 में जिला में दुकानों की बंदोबस्ती निम्न प्रकार रही––

शीर्ष	स्वीकृत	बंदोबस्त	अबंदोबस्त
देशी	25	25	शून्य
वि० देशी	28	28	शून्य
म० देशी शराब	11	09	2

अबंदोबस्त म० देशी शराब की 02 दुकानों की बंदोबस्ती हेतु अनेको बार बिक्री अधिसूचना निर्गत किया गया । कार्यालय के ज्ञापांक सं० 140, दिनांक 31 मार्च, 2000, 165, दिनांक 1 अप्रील, 2001, 495, दिनांक 26 सितम्बर, 2001, 561, दिनांक 9 नवम्बर, 2001 निर्गत किया गया परन्तु इच्छुक उम्मीदवार के नहीं मिलने के कारण बंदोबस्ती नहीं हो सकी ।

उपरोक्त के आलोक में कंडिका को विलोपित किया जा सकता है ।

(16) सारण––वर्ष 98–99 एवं 01–02 में अबंदोबस्त दुकानों की संख्या निम्न प्रकार रही––

शीर्ष	वर्ष	स्वीकृत	बंदोबस्त	अबंदोबस्त
देशी	98–99	62	39	23
	2000–01	59	38	21
विदेशी शराब	98–99	60	46	14
	2000–01	59	53	6
म० देशी शराब	98–99	50	49	01
	2000–01	62	60	02

वर्ष 98–99 के दौरान रक्षित शुल्क से कम पर देशी शराब की 09, म० देशी शराब की 05 एवं विदेशी शराब की 01 दुकान तथा वर्ष 2000–01 में विदेशी शराब की 02 एवं म० देशी शराब की 01 दुकान की बंदोबस्ती रक्षित शुल्क से कम पर की गयी । शेष अबंदोबस्त दुकानों के लिए बंदोबस्ती लेने के लिए कोई आवेदन–पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

वर्ष 2000–01 में अबंदोबस्त दुकानों की बंदोबस्ती हेतु बिक्री अधिसूचना समाहर्ता, सारण द्वारा ज्ञापांक 201, दिनांक 26 फरवरी, 2000, 346, दिनांक 24 मार्च, 2000, 406, दिनांक 11 अप्रील, 2000, 486, दिनांक 3 मई, 2000 तथा प्रत्येक मंगलवार को निकाली गयी लेकिन इच्छुक उम्मीदवार के अभाव में अबंदोबस्त दुकानों की बंदोबस्ती नहीं हो सकी ।

उपरोक्त के आलोक में कंडिका को विलोपित किया जा सकता है ।

(17) मुजफ्फरपुर––अबंदोबस्त दुकानों की बंदोबस्ती हेतु विभिन्न तिथियां यथा 22 अप्रील, 2000, 9 जून, 2000, 29 जुलाई, 2000, 22 अगस्त, 2000, तत्पश्चात् प्रत्येक सोमवार का दिन निर्धारित किया गया । कतिपय दुकानों की बंदोबस्ती रक्षित शुल्क से कम पर भी करायी गयी इस प्रकार जिला में स्वीकृत कुल देशी शराब की 46 दुकानों में से मात्र 09 दुकानें, विदेशी शराब की स्वीकृत कुल 78 दुकानों में से 04 दुकानें एवं म० दे० श० की स्वीकृत कुल 56 दुकानों में से मात्र 10 दुकानें अबंदोबस्त रह गयी । उक्त कंडिका में उठायी गयी यह आपत्ति की अबंदोबस्त दुकानों की बंदोबस्त रक्षित शुल्क से कम पर करने के प्रावधान के बावजूद भी उनकी बंदोबस्ती सुनिश्चित नहीं करायी गयी तथ्यों से दूर है । वास्तविकता यह है कि इन सभी तिथियों के विज्ञापन के पश्चात भी इच्छुक उम्मीदवारों के अभाव मे रक्षित शुल्क से कम पर भी इनकी बंदोबस्ती नहीं हो सकी ।

(18) नालंदा––जिला स्थित अबंदोबस्त दुकानों की बंदोबस्ती हेतु वर्ष 98–99, 99–2000, 2000–01 हेतु विभिन्न तिथियों में बंदोबस्त हेतु तिथि निर्धारण के पश्चात् अबंदोबस्त दुकानों की स्थिति निम्नवत है ––

वर्ष 98–99, 99–2000, 2000–01 बंदोबस्ती हेतु निर्धारित तिथियों का विवरण :––

वर्ष	बंदोबस्ती हेतु निर्धारित तिथि पत्रांक / दिनांक	निर्धारित तिथि	बंदोबस्ती हेतु निर्धारित तिथि के पश्चात प्रकाशित अधिसूचना
1998–99	222 / 7 मार्च, 1998 ज्ञा० 391 / 25 अप्रील, 1998	24 मार्च, 1998 प्रत्येक मंगलवार	ज्ञा० 295–24 मार्च, 1998, 342 दिनांक 7 अप्रील, 98, 375, दिनांक 20 अप्रील, 1998
1999–2000	121 / 3 फरवरी, 1999 ज्ञा० 722 / 7 अगस्त, 1999	25 फरवरी,1999 प्रत्येक मंगलवार	ज्ञा० 169, 25 फरवरी, 1999, 342
2000–01	340 / 14 मार्च, 2000 ज्ञा० 569 / 19 अप्रील, 2000	23 मार्च, 2000 प्रत्येक मंगलवार	ज्ञा० 349, 23 मार्च, 2000, 405, दिनांक 30 मार्च, 2000

बंदोबस्ती हेतु तिथि निर्धारण के पश्चात शेष अबंदोबस्त दुकानों की वर्षवार/मदवार विवरणी :—

दुकान का प्रकार	वर्ष	स्वीकृत सं०	बंदोबस्त सं०	अबंदोबस्त सं०
देशी	98–99	54	53	01
	99–2000	—	—	—
	2000–01	59	54	05
विदेशी शराब	98–99	26	25	01
	99–2000	—	—	—
	2000–01	33	32	01
म० देशी शराब	98–99	20	09	11
	99–2000	—	—	13
	2000–01	20	12	08

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्ष 1998–99, 99–2000 एवं 2000–01 की अवधि में अबंदोबस्त दुकानों की बदोबस्ती हेतु काफी प्रयास किया गया । उपरोक्त के आलोक में कंडिका को विलोपित किया जा सकता है ।

(19) गया——इस जिले में 29 देशी, 7 विदेशी एवं 7 मशालेदार देशी शराब दुकानें अबंदोबस्त रह गयी, इसके लिए काफी प्रयास किया गया ।

उपरोक्त के आलोक में कंडिका को विलोपित किया जा सकता है ।

(20) मधेपुरा——इस कंडिका के संबंध में कहना है कि वर्ष 98–99 में एवं 2000–01 में दुकानों की स्वीकृति एवं की गई बंदोबस्ती की विवरणी निम्न प्रकार है :—

वर्ष	स्वीकृत दुकानें			बंदोबस्त दुकानें		
	दे० शराब	वि० शराब	म०दे०शराब	दे० शराब	वि० शराब	म०दे०शराब
1998–99	16	14	09	14	12	08
2000–01	20	21	18	20	19	10

वर्ष 1998–99 में दो देशी शराब दुकान शंकरपुर और घैलाद को दिनांक 16 अप्रील, 1998 को ही बंदोबस्ती करा ली गई थी । विदेशी शराब दुकान किशनगंज दिनांक 26 जून, 1998 को क्रमशः दिनांक 26 जून, 1998 और दिनांक 8 दिसम्बर, 1998 को औपबंधिक बंदोबस्ती करा ली गई थी । जिसे कार्यालय अभिलेख से ज्ञात होता है । इस प्रकार देशी और विदेशी दुकानों की पूरी बंदोबस्ती करा ली गई थी । मात्र एवं मशालेदार देशी शराब दुकान मुरलीगंज रह गई थी ।

वर्ष 2000–01 में विदेशी शराब की सात और मशालेदार देशी शराब की नौ दुकानों की संख्या में वृद्धि हो गई जिसके कारण मठाही और विरौली विदेशी शराब दुकानों की बंदोबस्ती नहीं हो सकी । ये दोनों दुकानें देहाती क्षेत्रों में अवस्थित रहने, रक्षित शुल्क में 10 प्रतिशत वृद्धि एवं प्रत्याभूत मात्रा में 5 प्रतिशत हमेशा वृद्धि हो जाने के कारण दुकानें अलाभकार होती चली गई । इस कारण से एक भी आवेदन–पत्र प्राप्त नहीं हो सका । रक्षित शुल्क कम कर के भी कोई आवेदन–पत्र नहीं प्राप्त हो सका । जबकि समाहर्ता द्वारा बार–बार बंदोबस्ती की तिथि निर्धारित किया भी गया ।

मशालेदार देशी शराब दुकानों की गत वर्षों की अपेक्षा दुगुनी संख्या कर दी गई जिसके कारण भी मशालेदार देशी शराब दुकानों की बंदोबस्ती हेतु कोई भी आवेदन–पत्र प्राप्त नहीं हो सका ।

अतः उपर्युक्त सत्य तथ्यों के आलोक में इस कंडिका को निष्पादित करने की कृपा की जाय ।

विभागीय अभ्युक्ति

उपरोक्त प्रतिवेदित कठिनाइयों एवं अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए वर्ष 2007 में खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती की नई नीति लागू की गई । इसके अनुसार दुकानों को लॉटरी प्रणाली से लाभकर एवं अलाभकर दुकानों का

समूह बनाकर बंदोबस्त किया जाना है । इस नई नीति के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं । वर्ष 2008–09 में लगभग 65 प्रतिशत वर्ष 2009–10 में 81 प्रतिशत तथा वर्ष 2010–11 में लगभग 94 प्रतिशत दुकानें बंदोबस्त हुए हैं । नई नीति में दुकानें के अबंदोबस्त रह जाने की संभावनाओं को काफी कम किया गया है ।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 22 सितम्बर, 2011 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर एवं महालेखाकार तथा वित्त विभाग की सहमति से इस कंडिका आपत्ति को निष्पादित किया गया ।

सी०ए०जी० प्रतिवेदन (रा०प्रा०) वर्ष 2003–04 पृष्ठ 25–26 द्रष्टव्य

3.2 उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं होने के कारण राजस्व की हानि

बिहार उत्पाद अधिनियम (बि०उ०अ०), 1915 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत देशी शराब (दे०श०), मशालेदार देशी शराब (म०दे०श०) तथा भारत निर्मित विदेशी शराब (भा०नि०वि०श०) की खुदरा बिक्री हेतु उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्ति समाहर्ता द्वारा नीलामी के माध्यम से वार्षिक रूप से बंदोबस्त की जाती है तथा यदि नियत अपसेट/रक्षित शुल्क प्राप्त न हो तो समाहर्ता स्वविवेक से कम शुल्क स्वीकार कर सकते हैं वशर्ते उत्पाद आयुक्त द्वारा इसकी अनुमति दे दी जाय । विभाग ने सभी समाहर्ताओं/उपायुक्तों को अबंदोबस्त उत्पाद दुकानों को विभागीय स्तर पर संचालित करने का निर्देश (जून 1995) जारी किया ।

छः उत्पाद कार्यालयों 1 में यह पाया गया कि दिसम्बर, 2003 तथा जनवरी 2004 में 27 दे०श०, 40 म०दे०श० तथा 21 भा०नि०वि०श० की दुकाने वर्ष 2001–02 तथा 2002–03 के दौरान अबंदोबस्त या विभागीय स्तर पर असंचालित रहीं। इसके फलस्वरूप 5.08 करोड़ रुपये के उत्पाद शुल्क तथा अनुज्ञा शुल्क की हानि हुई जैसा कि दुकान के लिए निश्चित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (न्यू०प्र०मा०) तथा रक्षित शुल्क के आधार पर गणना किया गया ।

दिसम्बर 2003 तथा जनवरी 2004 में इसे बताये जाने पर सहायक उत्पाद आयुक्त (सउ०आ०) पटना तथा उत्पाद अधीक्षक (उ०अ०), समस्तीपुर ने दिसम्बर 2003 तथा जनवरी 2004 में कहा कि प्रयत्नों के बावजूद डाककर्ताओं के अभाव में दुकानों की बंदोबस्ती नहीं हो सकी । चार कार्यालयों के उ०अ० 2 ने अगस्त तथा सितम्बर, 2004 के बीच कहा कि दुकानों को विभागीय स्तर पर नहीं चलाया जा सका क्योंकि विभाग ने दुकानों को चलाने के ढंग के संबंध में कोई अनुदेश जारी नहीं किया ।

को विभागीय स्तर पर नहीं चलाया जा सका क्योंकि विभाग ने दुकानों को चलाने के ढंग के संबंध में कोई अनुदेश जारी नहीं किया ।

विभाग के उत्तर मान्य नहीं थे क्योंकि दुकानों को विभागीय स्तर पर चलाने अथवा उसे रक्षित फीस से कम पर बंदोबस्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया ।

मामले सरकार को मार्च तथा जून 2004 के बीच प्रतिवेदित किये गये उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2004) ।

सी०ए०जी० प्रतिवेदन (रा०प्रा०) वर्ष 2003–04 पृष्ठ सं० 26 द्रष्टव्य

3.3 विखंडन के पश्चात् उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं होने के कारण राजस्व की हानि

दुकानों की बंदोबस्ती हेतु विभाग द्वारा जारी बिक्री अधिसूचना (फरवरी 2002) के शर्त संख्या 14 (बी) के अन्तर्गत प्रत्येक डाककर्ताओं को डाक के तुरत बाद छः महीनों का अनुज्ञा शुल्क जमा करना होता है । अनुज्ञा शुल्क की शेष राशि जुलाई तथा दिसम्बर के मध्य समान मासिक किस्तों में हर महीने की दस तारीख तक जमा करना होता है, जिसके विफल होने पर अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जायगी तथा जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी । प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी को दे०श, म०दे०श०, भा०नि०वि०श० तथा बीयर का अनुमत्य न्यू०प्र०मा० का उठाव महीने के अंतिम दिन तक करना होगा । बिक्री अधिसूचना के शर्तों को पूरा करने में विफल होने पर बि०उ०अ० की धारा 42 के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध कार्यवाही चलाया जाना है । तदन्तर, जून, 1995

के विभागीय अनुदेशों के अन्तर्गत अबंदोबस्त उत्पाद दुकानों को विभागीय स्तर पर चलाया जाना है ।

दो उत्पाद कार्यालयों (नालन्दा तथा सारण) में यह पाया गया (सितम्बर तथा दिसम्बर 2002) की खुदरा बिक्रेता द्वारा अनुज्ञा शुल्क का भुगतान नहीं करने तथा न्यू०प्र०मा० से कम उठाव करने के कारण सितम्बर तथा दिसम्बर, 2002 के मध्य छः दे०श० तथा नौ म०दे०श० के दुकानों की अनुज्ञप्ति विखंडित कर दी गयी । विखंडन के बाद मार्च 2003 तक ये दुकान अबंदोबस्त रहे तथा उन दुकानों को विभागीय स्तर पर भी नहीं चलाया गया । फलस्वरूप 17.72 लाख रुपये के उत्पाद राजस्व की हानि हुई जैसा कि दुकान के लिए निश्चित न्यू०प्र०मा० तथा रक्षित शुल्क के आधार पर गणना किया गया ।

इसे दिसम्बर 2003 में बताये जाने पर उ०अ०, नालान्दा तथा सारण ने कहा कि प्रयत्नों के बावजूद डाककर्ताओं के आभाव में दुकानें बंदोबस्त नहीं की जा सकी तथा दुकानों को विभागीय स्तर पर भी नहीं चलाया जा सका क्योंकि विभाग ने दुकानों को चलाने के ढंग के संबंध में कोई अनुदेश जारी नहीं किया था ।

विभाग के उत्तर मान्य नहीं थे क्योंकि अनुदेशों का उल्लंघन कर अबंदोबस्त दुकानों को विभागीय स्तर पर नहीं चलाया गया ।

विभागीय स्पष्टीकरण 3.2

(1) पश्चिम चंपारण (बेतिया)––इस इस जिले में वित्तीय वर्ष 2003–04 के लिए 11 देशी शराब, 5 विदेशी शराब एवं 4 मशालेदार देशी शराब की दुकानों जो बंदोबस्त नहीं हो सकी थी, उसकी बन्दोबस्ती कराने हेतु काफी प्रयास किया गया, लेकिन बन्दोबस्त नहीं हो सकी । इसके बाद विगत तीन वर्षों के बन्दोबस्त राशि के आधार पर दुकानों के रक्षित शुल्क में संशोधन कर पुनः प्रचार–प्रसार एवं प्रयास किया गया, किन्तु इच्छुक उम्मीदवारों के नहीं मिलने के कारण दुकान बन्दोबस्त नहीं हो सकी ।

(2) अधीक्षक उत्पाद, नालंदा––इस जिले में 2001–02 में कुल 37 विदेशी शराब दुकानों में से दो दुकानें अबंदोबस्त रही, तथा 20 म०दे०श० दुकानों में 15 दुकानें अबन्दोबस्त रही । इन दुकानों की बन्दोबस्ती करने हेतु काफी प्रयास किया गया, किन्तु इच्छुक उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो सके ।

2002–03 में म०दे०श० की 20 स्वीकृत दुकानों में 5 दुकानें बन्दोबस्त रही । इन दुकानों की बन्दोबस्त करने का काफी प्रयास किया गया । किन्तु दुकानें बन्दोबस्त नहीं हो सकी ।

(3) सारण जिला––इस इस जिला में देशी शराब की 17, म०दे०शी० की 5 एवं विदेशी शराब की 2 दुकानें अबन्दोबस्त थी । जिसकी बन्दोबस्ती हेतु दिनांक 28 फरवरी, 2002, 16 मार्च, 2002, 4 अप्रील, 2002, 11 अप्रील, 2002, 16 अप्रील, 2002, 7 मई, 2002 एवं 13 मई, 2002 सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को तिथि निर्धारित की गयी थी, लेकिन दुकान बन्दोबस्त नहीं हो सकी ।

(4) भागलपुर–सह–बांका––वर्ष 2002–03 में भागलपुर जिला में 1 दे०श०,10 म०दे०शी० तथा 2 वि०श० दुकान तथा बांका जिला में दे०श० की 4, म०दे०श० की 5 एवं वि०श० की 4 दुकानें अबंदोबस्त रही । जिनकी बन्दोबस्ती हेतु अनेकों बार प्रयास किया गया किन्तु कोई क्रेता दुकान लेने हेतु उपस्थित नहीं हुए ।

(5) अधीक्षक उत्पाद समस्तीपुर––वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 में अबंदोबस्त शराब दुकानों की बंदोबस्ती हेतु समाहर्ता, समस्तीपुर द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2003, 6 मई, 2003, 22 अगस्त, 2003, 25 नवम्बर, 2003 तथा 14 फरवरी, 2004 को तिथि निर्धारित की गयी थी किन्तु उक्त तिथि को एक भी उम्मीदवार अबन्दोबस्त दुकानों की बन्दोबस्ती लेने हेतु उपस्थित नहीं हुए । संशाधन एवं स्थल उपलब्ध नहीं होने के कारण विभागीय स्तर पर दुकान नहीं चलाया जा सका ।

(6) स०आ०उ०, पटना––अबंदोबस्त दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु दिनांक 28 फरवरी, 2003, 22 मार्च, 2003, 29 मार्च, 2003, 31 मार्च, 2003, 10 अप्रील, 2003, 18 अप्रील, 2003, 26 अप्रील, 2003, 28 अप्रील, 2003 तथा 24 अक्तूबर

2003 को वित्तीय वर्ष 2003–04 में अबंदोबस्त दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु बिक्री अधिसूचना निर्गत की गयी तथा 10 मार्च, 2003 एवं 28 जून, 2004 को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी अवगत कराया गया । इसके अलावें प्रत्येक मंगलवार को बंदोबस्ती का दिन निर्धारित किया गया । इसके बाद भी कोई क्रेता दुकान लेने उपस्थित नहीं हुए ।

विभागीय स्पष्टीकरण 3.3

(1) नालंदा जिला––इस जिले में 9 म०दे०श० की दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा मासिक अनुज्ञाशुल्क जमा नहीं करने तथा न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठाव नहीं होने के कारण समाहर्ता, नालंदा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2002 को उक्त 9 दुकानों की अनुज्ञप्ति विखंडित कर दी गयी । पुनः उक्त दुकानों को शेष अवधि के लिए बन्दोबस्त करने का प्रयास किया गया किन्तु दुकान बन्दोबस्त नहीं हो सकी ।

(2) सारण जिला––वर्ष 2002–03 में इस जिला में दे०श०/म०दे०श०/वि०श० दुकानों को विखंडित नहीं किया गया था । अबंदोबस्त दुकानों में देशी शराब की 17, म०दे०श० की 5 एवं वि०श० की 2 दुकानों वर्ष 2002–03 में बन्दोबस्त थी । पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी एवं संचलन शुल्क तथा मूल्य जमा करने के लिए कोई निधि का आवंटन नहीं रहने के कारण विभागीय स्तर पर दुकान नहीं चलाया जा सका ।

विभागीय अभ्युक्ति

उपरोक्त प्रतिवेदित कठिनाईयों एवं अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए वर्ष 2007 में खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती की नई नीति लागू की गई । इसके अनुसार दुकानों को लॉटरी प्रणाली से लाभकर एवं अलाभकर दुकानों का समूह बनाकर बंदोबस्त किया जाना है । इस नई नीति के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं । वर्ष 2008–09 में लगभग 65 प्रतिशत वर्ष 2009–10 में 81 प्रतिशत तथा वर्ष 2010–11 में लगभग 94 प्रतिशत दुकानें बंदोबस्त हुए हुए हैं । नई नीति में दुकानों के अबंदोबस्त रह जाने की संभावनाओं को काफी कम किया गया है ।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 22 सितम्बर, 2011 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर एवं महालेखाकार तथा वित्त विभाग की सहमति से इस कंडिका आपत्ति को निष्पादित किया गया ।

सी०ए०जी० प्रतिवेदन (रा०प्रा०) वर्ष 2004–05 (पृ०सं० 19 द्रष्टव्य) की कंडिका आपत्ति

3.2 (उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि)

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (बि०उ०अ०) तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन देशी शराब (दे०श०) मशालेदार देशी शराब (म०दे०श०) और भारत निर्मित विदेशी शराब (भा०नि०वि०श०) के खुदरा निर्गम हेतु उत्पाद दुकानों के लिये बन्दोबस्ती किये जाने की प्रणाली लागू है । उत्पाद दुकानों को एक रक्षित शुल्क/न्यूनतम शुल्क की शर्तों के अधीन नीलामी की प्रक्रिया पर रखा जाता है । अबन्दोबस्त दुकानों को विभागीय स्तर पर चलाने के लिये उत्पाद आयुक्त (उ०आ०) ने जून, 1995 में अनुदेश भी जारी किये । जब न्यूनतम शुल्क प्राप्त न हो तो उत्पाद आयुक्त के अनुमोदन से जिला समाहर्ता उससे कम शुल्क भी स्वीकार कर सकते है ।

अक्तूबर, 2003 और दिसम्बर, 2004 के बीच देखा गया कि 14 उत्पाद जिलों में वर्ष 2001–02 से 2003–04 की अवधि में 104 दे०श० की दुकान, 49 म०दे०श० की दुकान और 26 भा०नि०वि०श० की दुकानों को बन्दोबस्त नहीं किया गया और उन्हें विभागीय स्तर पर संचालित नहीं किया गया । इसके फलस्वरूप संबंधित उत्पाद दुकानों के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (न्यू०प्र०मा०) और रक्षित शुल्क (रिजर्व फीस) के आधार पर की गयी संगणना के अनुसार क्रमशः अनुज्ञप्ति शुल्क तथा उत्पाद शुल्क के रूप में 10.06 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई ।

मामले सरकार को अक्तूबर 2004 और मार्च 2005 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे । सरकार ने सितम्बर, 2005 में जवाब दिया कि सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद डाककर्ताओं की अनुपलब्धता के कारण दुकान अबन्दोबस्त रहे । सरकार का यह जवाब मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं था कि राजस्व के हित में समय पर या

तो रक्षित शुल्क को कम करते हुए अथवा दुकानों को विभागीय स्तर पर संचालित करने की दिशा में कोई प्रयास किया गया।

दो उत्पाद कार्यालयों में (कटिहार एवं मुजफ्फरपुर) मार्च तथा जून, 2004 में यह देखा गया कि वर्ष 2002–03 की अवधि में पाँच दे०श० की दुकानों तथा दो भा०नि०वि०श० की दुकानों की बन्दोबस्ती करने मे विलम्ब हुआ था । यह विलम्ब 79 से 172 दिनों तक का था जिसके कारण संबंधित दुकानों के लिए निर्धारित न्यू०प्र०मा० और रक्षित शुल्क के आधार पर की गयी संगणना के अनुसार अनुज्ञप्ति शुल्क एवं उत्पाद शुल्क के रूप में 30.30 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई ।

जून, 2004 में लेखापरीक्षा में इसे बताये जाने के बाद विभाग ने मार्च तथा जून, 2004 के बीच बतलाया कि प्रयासों के बावजूद दुकानों की बन्दोबस्ती समय पर नही की जा सकी । यह जवाब मान्य नही है क्योंकि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों से स्पष्ट नहीं था कि राजस्व के हित में समय पर रक्षित शुल्क को कम करते हुए अथवा दुकानों को विभागीय स्तर पर संचालित करने की दिशा में कोई प्रयास किया गया।

मामले सरकार को जून और अगस्त 2004 के बीच प्रतिवेदित किये गये, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005) ।

अररिया–सह–किशनगंज, औरंगाबाद, भागलपुर–सह–बांका, भोजपुर–सह–बक्सर, दरंभगा, गया, जहानाबाद–सह–अरवल, कटिहार, मुजफ्फरपुर, नवादा, मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय–सह–शेखपुरा, नालन्दा, रोहतास–सह–लखीसराय–सह–शेखपुरा, नालन्दा, रोहतास–सह–कैमूर तथा पश्चिम चम्पारण (बेतिया)

विभागीय स्पष्टीकरण

(1) दरभंगा––इस जिला में वर्ष 2003–04 में विदेशी शराब दुकान बहेड़ी एवं उमान की बंदोबस्ती हेतु बिक्री अधिसूचना निर्गत करने के बाद भी बंदोबस्ती नहीं हो सकी थी । उक्त दोनों उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती हेतु काफी प्रयास करने तथा 10 प्रतिशत रक्षित शुल्क में छूट दिये जाने के बाद भी कोई क्रेता उपस्थित नहीं हुआ । फलतः उत्पाद दुकानें अबंदोबस्त रही ।

(2) जहानाबाद––देशी शराब दुकान काको, शकुराबाद, मखदुमपुर, टेहटा, सरैया तथा बन्धुगंज एवं विदेशी दुकान शकुराबाद एवं घोषी की बंदोबस्ती हेतु काफी प्रयास के बाद दिनांक 19 मई, 2003 को देशी शराब दुकान मखदुमपुर, शकुराबाद एवं टेहटा तथा शकुराबाद विदेशी शराब दुकान की बंदोबस्ती की जा सकी । शेष दुकानों की बंदोबस्ती काफी प्रयास के बाद भी नहीं हो सकी ।

(3) मुंगेर–सह–लखीसराय–सह–जमुई–सह–शेखपुरा––मुंगेर जिला के देशी शराब दुकान कल्याणपुर लोहची खड़गपुर मशालेदार देशी शराब खड़गपुर एवं लखीसराय जिला के देशी शराब दुकान बालगुदर, तेतरहाट, हलसी मेडिनी चौकी तथा मशालेदार देशी शराब दुकान तेतरहाट, लखीसराय एवं क्यूल स्टेशन रोड की काफी प्रयास के बाद 16 जून, 2004 को बंदोबस्ती की जा सकी । उक्त सभी उत्पाद दुकानों के नीलामी क्रेता द्वारा अग्रिम नीलामी राशि नहीं जमा करने के कारण दिनांक 16 अगस्त 2004 के अनुज्ञप्ति विखंडित करते हुए उनके जमानत राशि को जब्त कर लिया गया । इस प्रकार उक्त उत्पाद दुकानों के अतिरिक्त शेखपुरा जिला के देशी शराब दुकान सेन्दी, मेहुस एवं विदेशी शराब दुकान शेखपुरा तथा जमुई जिला के देशी शराब दुकान सोनी, मांगोबंदर तथा नवीनगर अबंदोबस्त दुकानों को रक्षित शुल्क से कम पर बंदोबस्ती के लिये अथक प्रयास किया गया । परंतु इच्छूक क्रेता की अनुपस्थिति या तैयार नहीं होने के कारण दुकानें अबंदोबस्त रही ।

(4) अररिया––अररिया–सह–किशनगंज जिला में वर्ष 2004–05 में अबन्दोबस्त बचे दुकानों की बंदोबस्ती के लिए अथक प्रयास के बावजूद कोई क्रेता निर्धारित रक्षित शुल्क से कम पर भी बंदोबस्त लेने के लिए उपस्थित नहीं हुआ । विभागीय स्तर पर दुकान चलाने हेतु स्थल एवं अपेक्षित साधन उपलब्ध न हो सका । आपत्ति में दर्शायी गयी राजस्व की क्षति वास्तविक हानि नहीं बल्कि एक कल्पित क्षति है ।

उपरोक्त के आलोक में कंडिका को विलोपित किया जा सकता है ।

(5) नालंदा––वर्ष 2001–02 में अबंदोबस्त विदेशी शराब दुकान एवं मशालेदार देशी शराब दुकान तथा वर्ष 2002–03

में अबन्दोबस्त मशालेदार देशी शराब दुकान एवं वर्ष 2003–04 में अबन्दोबस्त मशालेदार देशी शराब दुकान के बन्दोबस्ती हेतु कई बार बिक्री अधिसूचना निर्गत की गई तथा तिथि भी निर्धारित की गई, लेकिन कोई भी इच्छुक उम्मीदवार उपस्थित नहीं हुए ।

(6) **भागलपुर**––वित्तीय वर्ष 2001–02 से 2003–04 की अवधि में भागलपुर जिला एवं बांका जिला के देशी, मशालेदार एवं विदेशी शराब की अबंदोबस्त रही दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु बार–बार प्रयास किया गया । बार–बार बिक्री अधिसूचना निर्गत की गई । अबन्दोबस्त दुकानों का रक्षित शुल्क भी पुनरीक्षित किया गया, लेकिन कोई भी इच्छुक उम्मीदवार दुकान लेने हेतु उपस्थित नहीं हो सके ।

(7) **गया**––सहायक आयुक्त उत्पाद द्वारा सूचित किया गया है कि उनके जिला के अबन्दोबस्त दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु दिनांक 26 मार्च, 2003, 23 अगस्त, 2003 एवं 29 अगस्त, 2003 को तिथि निर्धारित की गई, किन्तु क्रेता के अभाव में दुकानें अबंदोबस्त रह गई । उनके द्वारा बताया गया है कि दुकान अबन्दोबस्त रहने का एक कारण यह है कि यह जिला उग्रवाद प्रभावित जिला है ।

जहानाबाद जिला––वर्ष 2003–04 के लिए उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती की तिथि दिनांक 17 मार्च 2003 को निर्धारित की गई । इस तिथि पर 16 देशी शराब, 12 विदेशी शराब एवं 6 मशालेदार देशी शराब की दुकानें अबन्दोबस्त रही । इसकी बन्दोबस्ती हेतु दिनांक 25 मार्च, 2003 को तिथि निर्धारित की गई । पुनः 29 मार्च, 2003, 31 मार्च, 2003 को तिथि निर्धारित की गई । लेकिन दुकानें बन्दोबस्त नहीं हो सकी । देशी शराब दुकान काको, सकुराबाद, मखदुमपुर, टेहटा एवं सरैया तथा विदेशी शराब दुकान सकुराबाद का रक्षित शुल्क कम किया गया, जिसके कारण दिनांक 19 मई, 2003 को मखदुमपुर, सकुराबाद, टेहटा देशी शराब दुकान तथा सकुराबाद विदेशी शराब दुकान की बन्दोबस्ती हुई । देशी शराब दुकान काको, सरैया, बन्धुगंज एवं विदेशी शराब दुकान घोषी की बन्दोबस्ती हेतु प्रत्येक सोमवार को तिथि निर्धारित की गई एवं समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया । लेकिन दुकान बन्दोबस्त नहीं हो सकी ।

(8) **औरंगाबाद**––वित्तीय वर्ष 2004–05 में देशी शराब की 1 दुकान, विदेशी शराब की 2 दुकानें तथा मशालेदार देशी शराब की 1 दुकान की बन्दोबस्ती हेतु दिनांक 24 फरवरी, 2004, 14 मार्च, 2004, 24 मई, 2004 एवं 26 अप्रील, 2004 द्वारा बिक्री अधिसूचना निर्गत की गयी, इसके बाद भी दिनांक 30 जून, 2004, 05 जुलाई, 2004, 10 जुलाई, 2004 एवं दिनांक 02 सितम्बर, 2004 को बिक्री अधिसूचना निर्गत की गई । उक्त दुकानों को विभागीय स्तर से रक्षित शुल्क भी कम किया गया, लेकिन दुकान बन्दोबस्त नहीं हो सकी । इसका एक कारण यह बताया गया है कि जिला उग्रवाद प्रभावित है तथा दुकान अलाभकर है ।

(9) **भोजपुर–सह–बक्सर**––वर्ष 2001–02 में भोजपुर जिला में विदेशी शराब की 1, मशालेदार देशी शराब की 1 दुकान की बन्दोबस्ती हेतु कई बार प्रयास किया गया । बार–बार बिक्री अधिसूचना निर्गत की गई, लेकिन दुकान बन्दोबस्त नहीं हो सकी । बाद में अबन्दोबस्त भलूनी नारायणपुर विदेशी शराब दुकान को अलाभकर रहने के कारण प्रत्यर्पित कर दिया गया ।

वर्ष 2002–03 में भोजपुर जिला में चांदी एवं कातर मसालेदार देशी शराब दुकान तथा 1 विदेशी शराब दुकान, 2 विदेशी शराब दुकान एवं 1 मशालेदार देशी शराब दुकान तथा वर्ष 2003–04 में बक्सर जिला में 2 मशालेदार देशी शराब दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु बार–बार बिक्री अधिसूचना निर्गत की गई, लेकिन दुकान बन्दोबस्त नहीं हो सकी । उक्त दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु अतिरिक्त व्यापक प्रचार प्रसार के बाद भी समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित किया गया, फिर भी दुकानें अबन्दोबस्त रह गई ।

(10) **कटिहार**––वर्ष 2001–02 से वर्ष 2003–04 तक की अवधि में जो भी दुकानें बन्दोबस्त नहीं हुई थी, उसकी बन्दोबस्ती हेतु कई बार बिक्री अधिसूचना निर्गत की गई । बन्दोबस्ती हेतु व्यापक प्रयास किया गया, लेकिन दुकान बन्दोबस्त नहीं हो सकी ।

(11) **प० चम्पारण**––वर्ष 2002–03 में देशी शराब की 4, विदेशी शराब की 1 तथा मशालेदार देशी शराब की 1 दुकान अबन्दोबस्त रह गई थी । काफी प्रचार प्रसार के बाद विदेशी शराब की 1 दुकान बन्दोबस्त हुई । वर्ष 2003–04 में देशी शराब की 11, विदेशी शराब की 5 एवं मशालेदार देशी शराब की 4 दुकानें अबंदोबस्त रह गई थी । जिसकी बन्दोबस्ती

हेतु काफी प्रयास किया गया किन्तु दुकानें बन्दोबस्त नहीं हो सकी ।

(12) रोहतास–सह–कैमूर–––वर्ष 2001–02 में रोहतास जिला के अन्तर्गत देशी शराब की 11, विदेशी शराब की 1 तथा मसालेदार देशी शराब की 2 एवं कैमूर जिलान्तर्गत 1 देशी शराब की दुकान अबन्दोबस्त रही ।

वर्ष 2002–03 में रोहतास जिलान्तर्गत देशी शराब की 13 तथा कैमूर जिलान्तर्गत 1 देशी शराब दुकान, वर्ष 2003–04 में रोहतास जिलान्तर्गत देशी शराब की 14, तथा विदेशी शराब की 1 तथा कैमूर जिलान्तर्गत मसालेदार देशी शराब की 2 दुकानें अबन्दोबस्त रही । उक्त सभी दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु कई बार बिक्री अधिसूचना निर्गत की गई । समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया, लेकिन दुकानें उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में रहने के कारण कोई भी नीलामकर्त्ता दुकानों की बन्दोबस्ती लेने हेतु उपस्थिति नहीं हो सके ।

(13) मुजफ्फरपुर–––वर्ष 2002–03 में दिनांक 15 मार्च 2003 को प्रथम बन्दोबस्ती सम्पन्न होने के पश्चात पुनः बन्दोबस्ती दिनांक 20 मार्च, 2002 एवं दिनांक 22 मार्च, 2002 को बिक्री अधिसूचना निर्गत की गई । जिसके फलस्वरूप देशी शराब की 46 में से 42 विदेशी शराब की 80 में से 71 तथा मसालेदार देशी शराब की 56 में से 49 दुकानों की बन्दोबस्ती हुई । शेष अबन्दोबस्त दुकानों में रक्षित शुल्क से कम राशि पर विदेशी शराब की 3 एवं मसालेदार देशी शराब की 2 दुकानें बन्दोबस्त की गई । शेष अबन्दोबस्त दुकानों की बन्दोबस्ती करने हेतु दिनांक 31 मई, 2003, 30 जनवरी, 2002, 25 नवम्बर, 2002 एवं 31 जनवरी, 2003 को बन्दोबस्ती की तिथि निर्धारित की गई । जिसमें विदेशी शराब की 5, मसालेदार देशी शराब की 1 दुकान बन्दोबस्त हो सकी । इस प्रकार वर्ष 2002–03 की शेष अवधि में देशी शराब की 4, मसालेदार देशी शराब की 4 एवं विदेशी शराब की 1 दुकानें काफी प्रयास के बावजूद भी बन्दोबस्त नहीं हो सकी । इसी प्रकार वर्ष 2003–04 के लिए प्रथम बन्दोबस्ती के बाद देशी शराब की मात्र 2 दुकानें अबन्दोबस्त रह गई थी । जिसकी बन्दोबस्ती हेतु दिनांक 11 जुलाई, 2003, 22 अगस्त, 2003, 1 नवम्बर, 2003 16 नवम्बर, 2003 एवं 20 नवम्बर, 2003 तथा प्रत्येक सोमवार को बन्दोबस्ती की तिथि निर्धारित कर बिक्री अधिसूचना निर्गत की गई । उक्त तिथि को दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में प्रकाशित कराया गया, फिर भी देशी शराब की 2 दुकानें अबन्दोबस्त रह गई ।

जहां तक विभागीय स्तर पर दुकान चलाने का प्रश्न है, इस संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक 2206, दिनांक 14 जून, 1995 द्वारा अबन्दोबस्त खुदरा दुकानों को विभागीय स्तर पर चलाने का निदेश दिया गया था, लेकिन उसे सफलीभूत नहीं होने पर विभागीय पत्रांक 3296, दिनांक 13 अक्तूबर, 2003 द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया । शेष जिलों से सूचना अप्राप्त है ।

विभागीय अभ्युक्ति

उपरोक्त प्रतिवेदन कठिनाइयों एवं अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए वर्ष 2007 में खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती की नई नीति लागू की गई । इसके अनुसार दुकानों की लॉटरी प्रणाली से लाभकर एवं अलाभकर दुकानों को समूह बनाकर बन्दोबस्त किया जाना है । इस नई नीति के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं । वर्ष 2008–09 में लगभग 65 प्रतिशत वर्ष 2009–10 में 81 प्रतिशत तथा वर्ष 2010–11 में लगभग 94 प्रतिशत दुकानें बन्दोबस्त हुए हैं । नई नीति में दुकानों के अबन्दोबस्त रह जाने की संभावनाओं को काफी कम किया गया है ।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 22 सितम्बर 2011 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर एवं महालेखाकार तथा वित्त विभाग के सहमति से इस कंडिका आपत्ति को निष्पादित किया गया ।

सी०ए०जी० प्रतिवेदन (रा०प्रा०) वर्ष 2004–05 (पृ०सं० 20 द्रष्टव्य) की कंडिका आपत्ति–––

3.3 (निरस्तीकरण के बाद उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं होने के कारण राजस्व की हानि)

दूकानों की बन्दोबस्ती के लिये विभाग द्वारा मार्च 2003 में जारी की गयी बिक्री अधिसूचना की शर्त्त संख्या 14 (ख)

के अन्तर्गत, सफल डाककर्त्ता को डाक के तुरन्त बाद छः महीनों का अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करना होता है । अनुज्ञप्ति शुल्क की शेष राशि जुलाई तथा दिसम्बर के बीच समान मासिक किश्तों में हर महीने की 10 तारिख तक जमा करना होता है, जिसमें विफल होने पर अनुज्ञप्ति निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी । इसके अतिरिक्त, प्रत्येक अनुज्ञाप्तिधारी को दे०श०, म०दे०श०, भा०नि०वि०श० तथा बीयर का अनुमत्य न्यू०प्र०मा० का उठाव प्रत्येक महीने के अन्तिम दिन तक करना होगा । बिक्री अधिसूचना की शर्तों के अनुपालन में विफलता की स्थिति में बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 42 के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त जून, 1995 में जारी किये गये विभागीय अनुदेश दुकानों को विभागीय स्तर पर संचालित करने का प्रावधान करते हैं । उत्पाद आयुक्त की अनुमति से 'रक्षित शुल्क' को कम करते हुए दूकानों की बन्दोबस्ती करने की बात भी दुहराई गयी ।

जनवरी तथा अगस्त, 2004 के बीच पाँच उत्पाद कार्यालयों में देखा गया कि वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 की अवधि में 27 दे०श० की दूकानों 14 म०दे०श० की दुकान तथा दो भा०नि०वि०श० की दुकानों का निरस्तीकरण जून, 2002 एवं जनवरी, 2003 के बीच अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने के कारण अथवा खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा न्यू०प्र०मा० से कम उठाव किये जाने के कारण किया गया । ये दूकान, निरस्तीकरण के बाद संबंधित बन्दोबस्ती वर्षों के अन्त तक अबन्दोबस्त रहे । इसके फलस्वरूप संबंधित उत्पाद दूकानों के लिये निर्धारित न्यू०प्र०मा० तथा अनुज्ञप्ति शुल्क के आधार पर की गयी संगणना के अनुसार 1.21 करोड़ के राजस्व की हानि हुई ।

जुलाई, 2004, जनवरी और अगस्त, 2004 में इसे बतलाये जाने के बाद उत्पाद अधीक्षकों ने कहा कि सभी प्रयासों के बावजूद डाककर्त्ताओं के नहीं आने के कारण दूकानों की बन्दोबस्ती नहीं की जा सकी । यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं था कि राजस्व के हित में, रक्षित शुल्क को कम करते हुए दूकानों की बन्दोबस्ती करने की अथवा उन्हें विभागीय स्तर पर चलाने का प्रयास किया गया । मामले, सरकार को अगस्त 2004 और जनवरी, 2005 के बीच प्रतिवेदित किये गये, उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2005) ।

विभागीय स्पष्टीकरण

(1) मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय–सह–शेखपुरा–––इस जिले में उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती हेतु बराबर बिक्री अधिसूचना प्रकाशित किया गया एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा बंदोबस्ती हेतु अथक प्रयास के बावजूद भी कोई क्रेता आवेदन नहीं दिया और न ही कोई इच्छुक क्रेता बंदोबस्ती हेतु उपस्थित हुआ । अतएव इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है ।

(2) मुजफ्फरपुर–––अधीक्षक उत्पाद द्वारा सूचित किया गया है कि देशी, विदेशी एवं मसालेदार देशी शराब की अनुज्ञप्ति, जो समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर द्वारा रद्द की गई थी, उसकी पुनर्बन्दोबस्ती का काफी प्रयास किया गया । लेकिन दुकान बन्दोबस्त नहीं हो सकी । उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि जहां तक लौस ऑफ ड्यूटि का प्रश्न है, ए०आई०आर०–1976 ए०सी० 633 पर उद्धृत माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि निकासी नहीं ली गई शराब पर उत्पाद कर नहीं लगाई जा सकती है । उत्पाद अधिनियम की धारा 27 के अनुसार भी निकासी नहीं ली गई । शराब की मात्रा पर ड्यूटि लगाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

(3) रोहतास–सह–कैमूर–––वित्तीय वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 में रोहतास एवं कैमूर जिला के कुछ दुकानों की अनुज्ञप्तियों को समाहर्त्ता, रोहतास एवं कैमूर द्वारा बिक्री अधिसूचना एवं अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लघन के कारण विखंडित किया गया था, इन दुकानों की अनुज्ञप्ति के विखंडन के पश्चात उनकी पुनर्बन्दोबस्ती हेतु दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से बृहत प्रचार–प्रसार किया गया एवं बिक्री अधिसूचना निर्गत की गई, परन्तु दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु कोई क्रेता उपलब्ध नहीं हुए ।

(4) प० चम्पारण–––वर्ष 2003–04 में समय पर नीलामी राशि जमा नहीं करने तथा निर्धारित कोटा का उठाव नहीं करने के कारण देशी शराब की 14, विदेशी शराब की 2 एवं मशालेदार देशी शराब की 4 दुकानों की अनुज्ञप्तियों को विखंडित कर दिया गया । उनकी पुनर्बन्दोबस्ती हेतु बिक्री अधिसूचना निर्गत कर वृहत प्रचार–प्रसार किया गया, फलस्वरूप

देशी शराब की 2, विदेशी शराब की 1 एवं मसालेदार देशी शराब की 2 दुकानें पुनर्बन्दोबस्त हो सकी । शेष दुकानों के लिए कोई भी इच्छुक उम्मीदवार उपस्थित नहीं हो सके, फलस्वरूप दुकानें अबन्दोबस्त रह गई ।

(5) भोजपुर–सह–बक्सर––वर्ष 2002–03 में भोजपुर जिले के केशोपुर बड़हरा विदेशी शराब दुकान की अनुज्ञप्ति मासिक अनुज्ञाशुल्क का भुगतान नहीं करने के कारण दिनांक 29 जुलाई 2002 को विखंडित कर दी गई थी । बकाया अनुज्ञाशुल्क 49860.00 की वसूली हेतु नीलाम पत्र वाद सं०–01/03–04 दायर किया गया है ।

वर्ष 2003–04 में भोजपुर जिले में देशी शराब की संदेश, अगियांव एवं आयर देशी शराब की अनुज्ञाशुल्क का भुगतान नहीं करने के कारण समाहर्त्ता, भोजपुर द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2003 को अनुज्ञप्ति विखंडित कर दी गई थी । फलस्वरूप जमानत राशि नियमानुसार जप्त कर ली गई । इन दुकानों की पुनर्बन्दोबस्ती हेतु बिक्री अधिसूचना निकाली गई एवं व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया, लेकिन दुकान बन्दोबस्त नहीं हो सकी ।

जहां तक विभागीय स्तर पर दुकान चलाने का प्रश्न है इस संबंध में कंडिका 3.2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

विभागीय अभ्युक्ति

उपरोक्त प्रतिवेदित कठिनाइयों एवं अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए वर्ष 2007 में खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती की नई नीति लागू की गई । इसके अनुसार दुकानों को लॉटरी प्रणाली से लाभकर एवं अलाभकर दुकानों का समूह बनाकर बंदोबस्त किया जाना है । इस नई नीति के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं । वर्ष 2008–09 में लगभग 65 प्रतिशत, वर्ष 2009–10 में 81 प्रतिशत तथा वर्ष 2010–11 में लगभग 94 प्रतिशत दुकानें बन्दोबस्त हुए हैं । नई नीति में दुकानों के अबन्दोबस्त रह जाने की संभावनाओं को काफी कम किया गया है ।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 22 सितम्बर, 2011 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर एवं महालेखाकार तथा वित्त विभाग के सहमति से इस कंडिका आपत्ति को निष्पादित किया गया ।

सी०ए०जी० प्रतिवेदन (रा०प्रा०) वर्ष 2005–06 (पृ०सं० 23 द्रष्टव्य) की कंडिका आपत्ति––

3.2.1 (उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि)

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन देशी शराब (दे०श०) मसालेदार देशी शराब (म०दे०श०) और भारत निर्मित विदेशी शराब (भा०नि०वि०श०) के खुदरा बिक्री हेतु उत्पाद दुकानों को अनुज्ञप्ति शुल्क की शर्तों के अधीन नीलामी की प्रक्रिया पर रखा जाता है । जब रक्षित शुल्क प्राप्त न हो तो उत्पाद आयुक्त के अनुमोदन से जिला समाहर्त्ता, उससे कम शुल्क भी स्वीकार कर सकते हैं । अबंदोबस्त दुकानों को विभागीय स्तर पर चलाने के लिए उत्पाद आयुक्त ने जून 1995 में अनुदेश भी जारी किये ।

3.2.1 सात उत्पाद जिलों, में मार्च एवं अगस्त 2005 में यह देखा गया कि वर्ष 2003–04 के दौरान 75 उत्पाद दुकान (37 दे०श० दुकान, 26 म०दे०श० दूकान, 12 भा०नि०वि०श० दुकान) अबन्दोबस्त पड़े थे और विभागीय स्तर पर संचालित नहीं थे । इसके फलस्वरूप वर्ष 2003–04 के लिए संबंधित उत्पाद दुकानों हेतु निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क एवं न्यूनतम गारंटी कोटा के आधार पर संगणित अनुज्ञप्ति शुल्क एवं उत्पाद शुल्क के रूप में 4.11 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई ।

मार्च एवं अगस्त 2005 के बीच बतलाये जाने के बाद अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद ने अप्रील, 2005 एवं मार्च, 2006 के दौरान अपने उत्तर में कहा कि समुचित प्रयास करने के बावजूद भी डाककर्त्ताओं के नहीं आने के कारण दुकानों की बन्दोबस्ती नहीं की जा सकी । यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि राजस्व के हित में, रक्षित शुल्क को कम करते हुए या तो दुकानों की बन्दोबस्ती अथवा उन्हें विभागीय स्तर पर चलाने का प्रयास नहीं किया गया ।

विभागीय स्पष्टीकरण

कंडिका में यह आपत्ति उठायी गई है कि वर्ष 2003–04 के दौरान सात उत्पाद जिलों यथा–अररिया–सह–किशनगंज, गोपालगंज, कटिहार, मधेपुरा, समस्तीपुर, सारण एवं सीवान में देशी / विदेशी / मसालेदार देशी शराब की 75 उत्पाद दुकानों के अबंदोबस्त रह जाने के कारण न्यूनतम गांरटी कोटा के आधार पर संगणित अनुज्ञप्तिशुल्क एवं उत्पाद शुल्क के रूप में 4.81 करोड़ रुपये की हानि हुई । अबंदोबस्त दुकानों को न तो उनके रक्षित शुल्क कम कर बंदोबस्त किये गये और नहीं विभागीय स्तर पर दुकानों को चलाने का प्रयास किया गया ।

उक्त आपत्ति कंडिका के संबंध में विभाग का प्रतिवेदन निम्नवत् है :—

1. उक्त मामले कें संबंध में संबंधित जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनों में लगभग समान तथ्य प्रतिवेदित हुए हैं । नीलामी–सह–निविदा प्रणाली से दुकानों की बंदोबस्ती के लिए अनेक सार्थक प्रयास किये जाने के बावजूद भी अबंदोबस्त रह गये दुकानों की बंदोबस्ती के लिए कोई भी इच्छुक उम्मीदवार उपस्थित नहीं हुआ । निष्कर्ष रूप में वैस अबंदोबस्त पड़े दुकानें Viable Shops नहीं रह गये थे ।

2. जहाँ तक अबंदोबस्त दुकानों के रक्षित शुल्क कम कर उनके बंदोबस्ती नहीं कराये जाने की आपत्ति है, उस संबंध में स्पष्ट करना है कि यह उपाय अनेक अबंदोबस्त पड़े दुकानों के लिए अपनाया जाना राजस्वहित में नहीं था, क्योंकि ऐसा करने पर अनेक बड़े राजस्वा वाले बंदोबस्त दुकानों को इसके क्रेता छोड़ने लगते तथा यह प्रयास करते कि वहीं दुकानें रक्षितशुल्क से कम पर उन्हें अन्य नामों से पुनः बंदोबस्त हो जाय । इसका कुप्रभाव अगले वर्ष की बंदोबस्ती पर भी पड़ता । इच्छुक उम्मीदवार यह प्रतीक्षा करते कि दुकानें अबंदोबस्त रह जाये ताकि बाद में वे रक्षितशुल्क से कम पर दुकानों की बंदोबस्ती ले सकें ।

3. जहाँ तक अबंदोबस्त दुकानों को विभागीय स्तर से संचालित नहीं कराये जाने की आपत्ति है, उस संबंध में स्पष्ट करना है कि उत्पाद अधिनियम में इस उपाय से दुकानों के संचालन का न तो वैधिक प्रावधान है और नहीं इसके संचालन के लिए बजट में कोई प्रावधान रहा है । बजट प्रावधान के अभाव में मंदिरा के क्रय, अनुज्ञाशुल्क की राशि और दुकानों के किराये का भुगतान तथा आवश्यक स्टाफ की उपलब्धता सर्वथा असंभव था । इसके लिए कोई Infrastructure भी नहीं था । वर्ष 1995 में विभागीय स्तर अबंदोबस्त पर दुकानों का संचालित करने का मात्र अनुदेश था जिसे विशेष परिस्थिति में यथा–संवेदनशील स्थानों पर दुकानों के अबंदोबस्त रह जाने पर अवैध शराब की बिक्री एवं जहरीली शराब की घटना को रोकने के लिए अस्थायी रूप से प्रयोग में लाया जाना था । बड़ी संख्या के अबंदोबस्त दुकानों को इस रीति से संचालित करना सर्वथा संभव प्रतीत नहीं होता है ।

अंतः उपरोक्त मंतव्य को स्वीकार करते हुए इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है ।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 22 सितम्बर, 2011 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर एवं महालेखाकार तथा वित्त विभाग के सहमति से इस कंडिका आपत्ति को निष्पादित किया गया ।

सी०ए०जी० प्रतिवेदन (रा०प्रा०) वर्ष 2005–06 (पृ०सं० 23–24 द्रष्टव्य) की कंडिका आपत्ति—— 3.2.2 (उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि)

3.2.2 अक्तूबर, 2003 में निर्गत अनुदेश के द्वारा उत्पाद आयुक्त ने अबन्दोबस्त दूकानों को विभागीय स्तर पर चलाने के जून, 1995 के अनुदेशों को वापस ले लिया और सभी समाहर्त्ता को यह निदेश दिया कि बन्दोबस्ती के प्रारंभ में अलाभकारी दूकानों की स्थिति की समीक्षा कर समूह में बन्दोबस्त करने के लिए उसे लाभकारी दूकानों के साथ सम्मिलित किया जाए ।

अप्रील, 2005 एवं मार्च, 2006 के बीच 18 उत्पाद जिलों[2] में यह देखा गया कि 300 उत्पाद दूकान (143 दे०श०

की दुकान, 104 म०दे०श० की दुकान, 53 भा०नि०वि०श० की दुकान) वर्ष 2004–05 के दौरान अबन्दोबस्त पड़े थे । अभिलेखों के नमूना जाँच में यह नहीं पता लगा कि अलाभकारी दूकानों के स्थिति की समीक्षा की गई एवं उन्हें लाभकारी दूकानों के साथ सम्मिलित कर बन्दोबस्ती का प्रयास भी किया गया । इसके फलस्वरूप संबधित दुकानों हेतु निर्धारित रक्षित शुल्क एवं न्यूनतम गारंटी कोटा के आधार पर संगणित क्रमशः अनुज्ञप्ति शुल्क एवं उत्पाद शुल्क के रूप में 19.65 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई ।

अप्रील, 2005 एवं मार्च, 2006 के बीच बतलाये जाने के बाद अधीक्षक उत्पाद / सहायक आयुक्त उत्पाद ने कहा कि दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु सभी प्रयास किए गये थे । यह उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि अक्टूबर, 2003 के अनुदेशों के बावजूद अलाभकारी दुकानों को लाभकारी दुकानों के साथ सम्मिलित कर उन्हें बन्दोबस्त करने का प्रयास नहीं किया गया था ।

मामले सरकार को मार्च एवं मई, 2006 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे, उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्टूबर, 2006) ।

विभागीय स्पष्टीकरण

3.2.2 :––लाभकारी–अलाभकारी दुकानों का समूह बनाकर बंदोबस्ती नहीं किये जाने के कारण राजस्व की क्षति––इस कंडिका में यह आपत्ति उठायी गई है कि विभागीय स्तर पर अबंदोबस्त दुकानों को संचालित करने के अनुदेश को अक्तूबर, 2003 में वापस लेने के समय यह निदेश समाहर्ता को दिया गया था कि अलाभकारी दुकानों की समीक्षा कर उन्हें लाभकारी दुकानों के साथ समूह में बंदोबस्त किया जाये किन्तु वर्ष 2004–05 में इसका अनुपालन नहीं किये जाने के कारण 18 उत्पाद जिलों में 300 उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं हो सकी जिससे 19.65 करोड़ रुपये की क्षति हुई ।

उक्त आपत्ति कंडिका के संबंध में विभाग का प्रतिवेदन निम्नवत् है :––

अलाभकारी दुकानों का लाभकारी दुकानों के साथ समूह में बंदोबस्ती के प्रयास नीलामी परिसर में ही बंदोबस्त (पीठासीन) पदाधिकारी के द्वारा किये जाते हैं । नीलामी के दौरान किसी दुकान के लिए इच्छुक उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा उस दूकान को वैसे बंदोबस्तधारियों को यह प्रस्ताव दिया जाता है कि वे अपने बंदोबस्त दुकानों के साथ, अबंदोबस्त दूकानों की भी नीलामी ले लें ।

नीलामी परिसर में इस तरह के प्रयास किये जाने के बावजूद समूह में दुकानें Viable नहीं होने के कारण उस समूह के लिए कोई इच्छुक उम्मीदवार नहीं मिला ।

सी०ए०जी० प्रतिवेदन (रा०प्रा०) वर्ष 2005–06 (पृ०सं० 24 द्रष्टव्य) की कंडिका आपत्ति––

3.3 (निरस्तीकरण के बाद उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि)

दूकानों की बन्दोबस्ती के लिये विभाग द्वारा जून, 2004 में निर्गत बिक्री अधिसूचना की शर्त्त संख्या 14 (ख) के अन्तर्गत, सफल डाककर्त्ता को डाक के तुरन्त बाद छः महीनों का अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करना होता है । अनुज्ञप्ति शुल्क की शेष राशि जुलाई तथा दिसम्बर के बीच समान मासिक किस्तों में हर महीने की 10 तारिख तक जमा करना होता है, जिसमें विफल होने पर अनुज्ञप्ति निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी । इसके अतिरिक्त, प्रत्येक अनुज्ञाप्तिधारी को दे०श०, म०दे०श०, भा०नि०वि०श० तथा बीयर का स्वीकृत न्यूनतम गारंटी कोटा का उठाव प्रत्येक महीने के अन्तिम दिन तक करना है, जिसमें विफल होने पर अनुज्ञप्ति को निरस्त / निलंबित कर दिया जायेगा एवं दुकानों को दुबारा बन्दोबस्त किया जायेगा । कोई हानि यदि हो, तो उसे भू–राजस्व के बकाये की तरह चूककर्त्ता से वसूला जायेगा ।

अप्रील एवं दिसम्बर, 2005 के बीच पाँच उत्पाद जिलां[3] में देखा गया कि 38 उत्पाद दुकानों (20 दे०श०, 15 म०दे०श०, 3 भा०नि०वि०श० की अनुज्ञप्तियाँ, खुदरा अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान नहीं किए जाने तथा न्यूनतम गारंटी कोटा से कम उठाव करने के कारण जुलाई, 2004 एवं जनवरी, 2005 के बीच निरस्त कर दिया गया था । निरस्तीकरण के पूरे वर्ष दुकानें अबन्दोबस्त पड़े रहें । इसके फलस्वरूप संबंधित उत्पाद दुकानों के लिये न्यूनतम

गारंटी कोटा तथा निर्धारित अनुज्ञप्ति फीस के आधार पर की गयी संगणना के अनुसार उत्पाद शुल्क एवं अनुज्ञप्ति फीस के रूप में 1.50 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई ।

इसे बतलाये जाने के बाद अप्रील तथा दिसम्बर, 2005 के बीच विभाग ने कहा कि सभी प्रयासों के बावजूद दुकानों की बन्दोबस्ती नहीं की जा सकी । यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों से यह पता चला कि राजस्व के हित की सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा दुकानों की पुनर्नीलामी या निरस्तीकृत उत्पाद दुकानों के क्षेत्र में रक्षित शुल्क को कम करते हुए पुनः बन्दोबस्ती का प्रयास नहीं किया गया था ।

मामले सरकार को फरवरी एवं अप्रील 2006 के बीच प्रतिवेदित किए गये, उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्टूबर 2006) ।

विभागीय स्पष्टीकरण

राजस्व की हानिः––इस कंडिका में यह आपत्ति है कि जुलाई, 2004 एवं जनवरी, 2005 के बीच पाँच उत्पाद जिलों, यथा–पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, पूर्णियाँ, समस्तीपुर एवं सीवान जिलों में 38 उत्पाद दुकानों को, उनके अनुज्ञाधारियों के द्वारा अनुज्ञाशुल्क जमा नहीं कराये जाने तथा न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठाव नहीं किये जाने के कारण रद्द कर दिये गये किन्तु रद्द कर दिये जाने के बाद रक्षितशुल्क पर अथवा रक्षितशुल्क से कम पर न तो उनकी पुनर्बन्दोबस्ती की गई और नहीं उन्हें विभागीय स्तर से संचालित किया गया जिसके परिणामस्वरूप 1.50 करोड़ रुपये राजस्व की क्षति हुई ।

इस कंडिका की आपत्ति ऊपर की कंडिका 3.2 के आपत्ति के सदृश ही है जिसके संबंध में विभागीय मंतव्य उस कंडिका के अधीन रख दिया गया है । सभी सार्थक प्रयास किये जाने जिसमें प्रत्येक सप्ताह के एक निर्धारित दिन को ईच्छुक उम्मीदवारों को उपस्थित होकर बन्दोबस्ती लेने का आमंत्रण भी दिये जाने के बावजूद इच्छुक उम्मीदवार को उपस्थित होकर बन्दोबस्ती लेने का आमंत्रण भी दिये जाने के बावजूद इच्छुक उम्मीदवार उपस्थित नहीं हो सका । रक्षित शुल्क से कम पर बन्दोबस्ती कराने के दुष्परिणामों तथा विभागीय स्तर पर दुकान चलाने की कठिनाइयों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है जो इस आपत्ति कंडिका के सन्दर्भ में भी लागू होते हैं ।

अतः इस आपत्ति कंडिका को विलोपित किया जा सकता है ।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 22 सितम्बर, 2011 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर एवं महालेखाकार तथा वित्त विभाग के सहमति से इस कंडिका आपत्ति को निष्पादित किया गया ।

सी०ए०जी० प्रतिवेदन (रा०प्रा०) वर्ष 2006–07 (पृ०सं० 24 द्रष्टव्य) की कंडिका आपत्ति––

3.2.1 एवं 3.2.2 (न्यूनतम गारंटी कोटा का उठाव नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि)

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत बिक्री अधिसूचना के शर्त 19 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को माह के दौरान संपूर्ण न्यूनतम गारंटी कोटा का उठाव करना है, इसमें विफल रहने पर अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है अथवा उसके अनुज्ञप्ति को बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत निरस्त किया जाना है । पुनः जनवरी, 2005 से प्रभावी बिहार उत्पाद (देशी शराब/मसालेदार देशी शराब के खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती) नियमावली, 2004 के नियम 26 (1) में 2.50 रुपये प्रति लन्दन प्रूफ लीटर (एल०पी०एल०)[1] के दर पर निर्गमन फीस जमा करने के बाद ही शराब के उठाव हेतु पास प्राप्त करने का प्रावधान है ।

3.2.1 सात उत्पाद जिलों[2] में फरवरी एवं जुलाई, 2007 के बीच यह पाया गया कि उत्पाद दुकानों के खुदरा अनुज्ञप्तिधारी वर्ष 2002–03 से 2005–06 के दौरान न्यूनतम गारंटी कोटा का उठाव नहीं किया जिसमें 48.26 करोड़ रुपये के राजस्व सन्निहित थे (परिशिष्ट 1), जिसकी गणना संबंधित दुकानों हेतु निर्धारित न्यूनतम गारंटी कोटा के आधार पर की गई । विभागीय प्राधिकारियों ने अनुज्ञप्तियों को निरस्त नहीं किया तथा चार उत्पाद जिलों के दुकानों के मामले में मात्र 28.10 लाख रुपये का जुर्माना आरोपित किया । इसके परिणामस्वरूप 47.98 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई ।

3.2.2 पाँच उत्पाद जिलों[3] में मार्च एवं जुलाई, 2007 के बीच यह पाया गया कि देशी शराब/मसालेदार देशी शराब दुकानों के खुदरा बिक्रेता समूहों के अनुज्ञप्तिधारियों ने वर्ष 2005–06 के लिये निर्धारित 66.71 लाख एल०पी०एल० के न्यूनतम गारंटी कोटा के विरुद्ध 32.54 लाख एल०पी०एल० का उठाव किया । 34.17 लाख एल०पी०एल० शराब का उठाव नहीं किये जाने के फलस्वरूप निर्गमन फीस के रूप में 85.44 लाख रुपये की हानि हुई ।

मामले इंगित किये जाने के बाद विभाग ने उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती नहीं/विलम्ब से होने का मुख्य कारण उच्च न्यूनतम गारंटी कोटा एवं अनुज्ञप्ति फीस का निर्धारण किये जाने के कारण उत्पाद दुकान अलाभकारी हो जाने को ठहराया (अक्तूबर, 2007) उत्तर मान्य नहीं थे, क्योंकि लेखापरीक्षा अवलोकन न्यूनतम गारंटी कोटा का उठाव नहीं किये जाने से संबंधित है जिसके कारण सरकारी राजस्व की हानि हुई, न कि उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती नहीं/विलम्ब से किये जाने पर, जैसा कि जवाब दिया गया था ।

विभागीय स्पष्टीकरण

कंडिका 3.2.1 :—न्यूनतम गारंटी कोटा का उठाव नहीं किये जाने के कारण उत्पाद राजस्व की हानि—

इस कंडिका में यह आपत्ति है कि वर्ष 2002–03 से 2005–06 के दौरान सात उत्पाद जिलों यथा–अररिया–सह–किशनगंज, भोजपुर–सह–बक्सर, गया, मधेपुरा, मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय–सह–शेखपुरा, पूर्णियाँ एवं रोहतास–सह–कैमूर जिलों में न्यूनतम गारंटी कोटा का उठाव नहीं किये जाने के कारण 47.98 करोड़ रुपये उत्पाद राजस्व की हानि हुई ।

इस आपत्ति–कंडिका के संबंध में विभाग का प्रतिवेदन निम्नवत् है :—

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विमलचन्द्र बनर्जी के मामले (1970) में यह नियमन दिया गया है कि निर्धारित कोटा के जिस भाग की निकासी अनुज्ञाधारी के द्वारा नहीं ली गई है वह कर/शुल्क/अर्थदण्ड अधिरोपण योग्य नहीं है । वर्णित आदेश के आलोक में अर्थदण्ड लगाने का औचित्य स्थापित नहीं होता है ।

2. उक्त सहित अन्यान्य कारणों से उत्पाद दूकानों की बन्दोबस्ती–नीति में पुनरीक्षण की आवश्यकता को देखते हुए सरकार द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2007 के प्रभाव से नई बन्दोबस्ती नीति लागू की गई जिसके प्रावधानुसार सकल न्यूनतम गारंटी कोटा पर कर एवं अन्य मद की राशि की प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु कर की प्रचलित दर व अन्य शुल्कों की दर के योग से गुणा कर उस राशि को अनुज्ञाशुल्क का स्वरूप दिया गया । इससे अनुज्ञाशुल्क के साथ–साथ अधिरोप्य कर की राशि की भी प्राप्ति होती है । इसके ऊपर देशी एवं मसालेदार देशी शराब पर कर की राशि शून्य रखी गई किन्तु विदेशी शराब एवं बीयर पर बहुत कम कर की दर रखी गई ।

अतः उपरोक्त मंतव्य को स्वीकार करते हुए इस आपत्ति कंडिका को विलोपित किया जा सकता है । कंडिका 3.2.2 न्यूनतम गारंटी कोटा का उठाव नहीं किये जाने के कारण निर्गमन फीस के रूप में राजस्व की हानि––

इस कंडिका में यह आपत्ति है कि पाँच उत्पाद जिलों, यथा भोजपुर सह–बक्सर, गया, मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय, सह–शेखपुरा, पूर्णियाँ एवं रोहतास–सह–कैमूर जिलों में वर्ष 2005–06 के दौरान देशी/मसालेदार देशी शराब के खुदरा बिक्रेताओं के द्वारा निर्धारित न्यूनतम गारंटी कोटा से 34.17 लाख एल०पी०एल० शराब का कम उठाव किये जाने के कारण निर्गमन फीस के रूप में 85.44 लाख रुपये की हानि हुई है ।

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विमलचन्द्र बनर्जी के मामले (1970) में यह नियमन दिया गया है कि निर्धारित कोटा के जिस भाग की निकासी अनुज्ञाधारी के द्वारा नहीं ली गई है, वह कर/शुल्क/अर्थदण्ड अधिरोपण योग्य नहीं है । वर्णित आदेश के आलोक में अर्थदण्ड लगाने का औचित्य स्थापित नहीं होता है ।

2. उक्त सहित अन्यान्य कारणों से उत्पाद दूकानों की बन्दोबस्ती नीति में पुनरीक्षण की आवश्यकता को देखते हुए सरकार द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2007 के प्रभाव से नई बंदोबस्ती नीति लागू की गई जिसके प्रवधानानुसार सकल न्यूनतम गारंटी कोटा पर कर एवं अन्य मद की राशि के प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु , कर की प्रचलित दर व अन्य शुल्कों की

दर के योग से गुणा कर उस राशि को अनुज्ञाशुल्क का स्वरूप दिया गया । इससे अनुज्ञाशुल्क के साथ–साथ अधिरोप्य कर की भी प्राप्ति होती है । इसके ऊपर देशी एवं मसालेदार देशी शराब पर कर की राशि शून्य रखी गई किन्तु विदेशी शराब एवं बीयर पर बहुत कम कर की दर रखी गई ।

अतः उपरोक्त मतव्य को स्वीकार करते हुए इस आपत्ति कंडिका को विलोपित किया जा सकता है ।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 22 सितम्बर, 2011 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर एवं महालेखाकार तथा वित्त विभाग के सहमति से इस कंडिका आपत्ति को निष्पादित किया गया ।

सी०ए०जी० प्रतिवेदन (रा०प्रा०) वर्ष 2006–07 (पृ०सं० 26 द्रष्टव्य) की कंडिका आपत्ति––3.3.2 एवं 3.3.3 (दुकानों का अबंदोबस्त पड़े रहना) एवं (निरस्तीकरण के बाद दुकानों का अबंदोबस्त पड़े रहना)

3.3.2 दुकानों का अबन्दोबस्त पड़े रहना

आठ उत्पाद जिलों[7] में जुलाई, 2006 एवं जुलाई, 2007 के बीच यह पाया गया कि नीलामी पर रखे गये 57 देशी शराब, 22 मसालेदार देशी शराब तथा 25 भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें वर्ष 2002–03 से 2005–06 के दौरान अबन्दोबस्त पड़े थे तथा उनका विभागीय तौर पर संचालन भी नहीं किया गया था । इसके फलस्वरूप उत्पाद शुल्क एवं अनुज्ञप्ति फीस के रूप में 8.03 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई (परिशिष्ट–III) ।

मामले इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अक्तूबर, 2007 में बतलाया कि संरचना स्थान एवं कर्मियों के अभाव में अबदोबस्त दुकानों की बन्दोबस्ती नहीं की जा सकी । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दुकानों की बन्दोबस्ती कर राजस्व की वसूली के लिये विभागीय संचालन हेतु अनुदेश निर्गत करने के समय सरकार को सभी संरचना मुहैय्या करानी चाहिये थी ।

3.3.3 निरस्तीकरण के बाद दुकानों का अबन्दोबस्त पड़े रहना

सात उत्पाद जिलों[8] में जुलाई, 2006 एवं जुलाई, 2007 के बीच यह देखा गया कि विक्रेताओं द्वारा अनुज्ञप्ति शुल्क के भुगतान नहीं करने तथा न्यूनतम गारंटी कोटा के कम उठाव के कारण अप्रील, 2002 एवं दिसम्बर, 2005 के बीच 31 देशी शराब, 9 मसालेदार देशी शराब एवं 20 भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें निरस्त कर दी गई थी । इन निरस्त दुकानों के विभागीय प्रबंधन हेतु कोई पहल भी नहीं की गई थी । इसके परिणामस्वरूप 2.28 करोड़ रुपये की उत्पाद शुल्क एवं अनुज्ञप्ति फीस की हानि हुई (परिशिष्ट–IV) ।

मामले सरकार को अगस्त, 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2007) ।

विभागीय स्पष्टीकरण

(1) उक्त मामले के संबंध में संबंधित जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनों में लगभग समान तथ्य प्रतिवेदित हुए हैं । नीलामी–सह–निविदा प्रणाली से दुकानों की बन्दोबस्ती के लिए अनेक सार्थक प्रयास किये जाने के बावजूद भी अबंदोबस्त रह गये दुकानों की बंदोबस्ती के लिए कोई भी इच्छुक उम्मीदवार उपस्थित नहीं हुआ । निष्कर्ष रूप में वैसे अबंदोबस्त पड़े दुकानें Viable Shops नहीं थे ।

(2) जहां तक अबंदोबस्त दुकानों के रक्षित शुल्क कम कर उनके बंदोबस्ती नहीं कराये जाने की आपत्ति है, उस संबंध में स्पष्ट करना है कि यह उपाय अनेक अबंदोबस्त पड़े दुकानों के लिए अपनाया जाना राजस्वहित में नहीं था, क्योंकि ऐसा करने पर अनेक बड़े राजस्ववाले बंदोबस्त दुकानों को इसके क्रेता छोड़ने लगते तथा यह प्रयास करते कि वहीं दुकानें रक्षितशुल्क से कम पर उन्हें अन्य नामों से पुनः बंदोबस्त हो जाय । इसका कुप्रभाव अगले वर्ष की बंदोबस्ती पर भी पड़ती । इच्छुक उम्मीदवार यह प्रतीक्षा करते कि दुकानें अबंदोबस्त रह जाये ताकि बाद में वे रक्षितशुल्क से कम पर दुकानों की बंदोबस्ती ले सकें ।

(3) जहाँ तक अबंदोबस्त दुकानों को विभागीय स्तर पर नहीं चलाये जाने का प्रश्न है, उस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि विभागीय स्तर पर अबन्दोबस्त दुकानों को चलाने हेतु वर्ष 1995 में जारी अनुदेश को वर्ष अक्तूबर, 2003 में विभाग द्वारा वापस ले लिया गया था ।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 22 सितम्बर, 2011 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर एवं महालेखाकार तथा वित्त विभाग के सहमति से इस कंडिका आपत्ति को निष्पादित किया गया ।

सी०ए०जी० प्रतिवेदन वर्ष 2006–07 (रा०प्रा०) (पृ०सं० 29–30 द्रष्टव्य) की कंडिका आपत्ति—3.7

3.7 राजस्व शीर्ष में अनियमित जमा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 284 प्रावधित करता है कि सभी धन (सरकारी राजस्व के अलावे) राज्य के लोक लेखा में जमा किया जाना चाहिए । पुनः अंनुच्छेद 266 निर्देशित करता है कि राज्य के समेकित निधि से कोई भी धन विधायिका के अनुमोदन के बिना विनियोजित नहीं किया जायेगा ।

आठ उत्पाद जिलों[13] में यह पाया गया (जनवरी से जुलाई, 2007 कि वर्ष 2002–03 से 2005–06 से संबंधित 23.04 करोड़ रुपये (परिशिष्ट–VII) की जमानत राशि सिक्युरिटी डिपोजिट शीर्ष[14] के बदले राजस्व प्राप्ति शीर्ष[15] के अन्तर्गत अनियमित रूप से जमा की गई थी । चूँकि समेकित निधि में जमा की गई राशि को जब्त नहीं किया जा सकता है, विभाग भारत निर्मित शराब के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा चूक के कारण 87.67 लाख रुपये की जमानत राशि को जब्त करने में असमर्थ रह गया । इसके अलावे, जमानत राशि को राजस्व प्राप्तियाँ शीर्ष के अन्तर्गत जमा किये जाने के फलस्वरूप राजस्व संग्रहण के आँकड़ों को बढ़ाकर दिखलाया गया ।

मामले इंगित किये जाने के बाद विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा अक्तूबर, 2007 में कहा कि जमानत राशि को राजस्व शीर्ष "0039 राज्य उत्पाद" के बजाए शीर्ष "8443 सिविल डिपोजिट–सिक्युरिटी डिपोजिट" के अन्तर्गत जमा कराने हेतु सभी उत्पाद जिलों को निदेश जारी कर दिया गया है ।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस कंडिका में यह आपत्ति है कि वर्ष 2005–06 के दौरान आयुक्त उत्पाद जिलों में जमानत की राशि का "जमानत राशि–सिक्युरिटि शीर्ष" के बदले राजस्व प्राप्ति शीर्ष में जमा किया गया जो अनियमित था ।

उक्त आपत्ति के संदर्भ में स्पष्ट करना है कि पूर्व में इस तरह से अनियमित जमा होने के मामले प्रकाश में आने पर विभागीय पत्रांक 2021, दिनांक 09 मई, 2008 के द्वारा सभी जिलों को जमानत की राशि राजस्व प्राप्ति शीर्ष 0039 के बदले शीर्ष 8443 सिविल डिपोजिट–सिक्युरिटि डिपोजिट में जमा करने का निर्देश जारी कर दिया गया है । इस निर्देश के बाद अब कोई अनियमित जमा नहीं होता है ।

अतएव उपरोक्त के आलोक में इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है ।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 29 अप्रील, 2011 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर के आलोक में इस कंडिका आपत्ति को निष्पादित किया गया ।

सी०ए०जी० प्रतिवेदन (रा०प्रा०) वर्ष 2007–08 (पृ०सं० 35–36 द्रष्टव्य) की कंडिका आपत्ति—3.3.1 (उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं/विलम्ब से किये जाने के कारण राजस्व की हानि)

3.3.1 पाँच उत्पाद जिलों[5] में सितम्बर, 2007 तथा मार्च, 2008 के बीच किये गये अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि नीलामी पर रखे गये 135 में से 25 देशी शराब, 61 में से आठ मशालेदार देशी शराब तथा 199 में से

नौ भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें वर्ष 2006–07 के दौरान अबन्दोबस्त पड़े थे तथा जहानाबाद जिले के 11 देशी शराब दुकानों को छोड़ उनका विभागीय तौर पर संचालन भी नहीं किया गया था । इसके फलस्वरूप जहानाबाद जिले में संग्रहित राजस्व के समायोजन के उपरान्त उत्पाद शुल्क के रूप में 5.91 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई, जिसकी गणना संबंधित उत्पाद दुकानों हेतु वर्ष 2006–07 में निर्धारित न्यूनतम गारंटी कोटा के आधार पर की गई है ।

मामले इंगित किये जाने के बाद चार[6] सहायक उत्पाद आयुक्त / उत्पाद अधीक्षक ने अक्तूबर, 2007 एवं मार्च, 2008 के बीच कहा कि काफी प्रयासों के बावजूद डाककर्त्ताओं की अनुपलब्धता के कारण दुकानें अबंदोबस्त रह गये जबकि उत्पाद अधीक्षक जहानाबाद–सह–अरवल ने सितम्बर, 2007 में कहा कि समूह बनाकर दुकानों को बन्दोबस्त करने का प्रयास किया गया था लेकिन डाककर्ताओं की अनुपलब्धता के कारण बन्दोबस्ती नहीं की जा सकी तथा विभागीय तौर पर दुकानों का संचालन किया गया था । उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि विभागीय तौर पर दुकानों का संचालन किया गया था । उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि विभागीय तौर पर दुकानों का संचालन तो किया गया था, परन्तु दुकानों के लिए निर्धारित रिजर्व फीस / न्यूनतम गारंटी कोटा की तुलना में निबल राजस्व की वसूली नगण्य थीं ।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस कंडिका में यह आपत्ति उठायी गई है कि वर्ष 2006–07 के दौरान पांच उत्पाद जिलों यथा–औरंगाबाद, छपरा जहानाबाद–सह–अरवल, पटना तथा पूर्णियां जिलों में देशी शराब की 25 मसालेदार देशी शराब की 8 तथा विदेशी शराब की 9 दूकानों की बन्दोबस्ती नहीं होने तथा विभागीय स्तर पर अबंदोबस्त दुकानों को नहीं चलाये जाने के कारण 5.91 करोड़ रुपये राजस्व की हानि हुई ।

(1) उक्त मामले के संबंध में संबंधित जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनों में लगभग समान तथ्य प्रतिवेदित हुए हैं । निलामी–सह–निविदा प्रणाली से दुकानों की बन्दोबस्ती के लिए अनेक सार्थक प्रयास किये जाने के बावजूद भी अबंदोबस्त रह गये दुकानों की बंदोबस्ती के लिए कोई भी इच्छुक उम्मीदवार उपस्थित नहीं हुआ । निष्कर्ष रूप में वैसे अबंदोबस्त पड़े दुकानें Viable Shops नहीं रह गये थे ।

(2) जहां तक अबंदोबस्त दुकानों के रक्षित शुल्क कम कर उनके बंदोबस्ती नहीं कराये जाने की आपत्ति है, उस संबंध में स्पष्ट करना है कि यह उपाय अनेक अबंदोबस्त पड़े दुकानों के लिए अपनाया जाना राजस्वहित में नहीं था, क्योंकि ऐसा करने पर अनेक बड़े राजस्ववाले बंदोबस्त दुकानों को इसके क्रेता छोड़ने लगते तथा यह प्रयास करते कि वहीं दुकानें रक्षितशुल्क से कम पर उन्हें अन्य नामों से पुनः बंदोबस्त हो जाय । इसका कुप्रभाव अगले वर्ष की बंदोबस्ती पर भी पड़ती । इच्छुक उम्मीदवार यह प्रतीक्षा करते कि दुकानें अबंदोबस्त रह जाये ताकि बाद में वे रक्षितशुल्क से कम पर दुकानों की बंदोबस्ती ले सकें ।

(3) जहाँ तक अबंदोबस्त दुकानों को विभागीय स्तर पर नहीं चलाये जाने का प्रश्न है, उस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि विभागीय स्तर पर अबन्दोबस्त दुकानों को चलाने हेतु वर्ष 1995 में जारी अनुदेश को वर्ष अक्तूबर, 2003 में विभाग द्वारा वापस ले लिया गया था ।

उपरोक्त मंतव्य के आलोक में इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है ।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 22 सितम्बर, 2011 की बैठक में समिति द्वारा (विभागीय उत्तर एवं महालेखाकार तथा वित्त विभाग की सहमति से) यह निदेश दिया जाता है कि "विभाग कोई निदेश निकालने के पहले जाँच कर उसकी फिजिब्लिटी देखने कि चलेगा या नहीं ।" के साथ निष्पादित किया गया ।

सी०ए०जी० प्रतिवेदन (रा०प्रा०) वर्ष 2007–08 (पृ०सं० 36–37 की द्रष्टव्य) की कंडिका आपत्ति––3.4

(मोलासेस से शराब की कम प्राप्ति के कारण राजस्व की हानि)

मोलासेस नियंत्रण अधिनियम, 1947 बिहार राज्य में कारखानों द्वारा मोलासेस के उत्पादन की कीमत एवं भंडारण, आपूर्त्ति एवं वितरण का नियंत्रण प्रावधित करता है । इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाया गया बिहार मोलासेस नियंत्रण (नियमावली), 1955 यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक डिस्टीलरी आगामी 1 जनवरी से प्रारंभ होने वाले बारह महीनों के दौरान मोलासेस की अपनी आकलित आवश्यकता संबंधी माँग–पत्र (31 अक्तूबर तक) नियंत्रक को सौंपेगा । माँग–पत्र के अनुसार तथा इसकी जाँच करने के उपरान्त नियंत्रक, डिस्टीलरी के लिए मोलासेस का आवंटन करेंगे ।

राजस्व पर्षद द्वारा 19 जनवरी 2000 में बनाये गये नियमों के अनुसार प्रत्येक डिस्टीलरी के मालिक, शराब के उत्पादन के लिए खपत हुए मोलासेस में विद्यमान किण्वित शक्कर के प्रत्येक क्विंटल से कम–से–कम 92 एल०पी०एल० शराब की प्राप्ति बनाये रखने हेतु उत्तरदायी होंगे । इसे सुनिश्चित करने हेतु डिस्टीलरी के प्रभारी उत्पाद अधिकारी द्वारा मोलासेस का मिश्रित नमूना लेना है तथा जाँच हेतु रासायनिक परीक्षक को भेजा जाना है । उत्पाद अधीक्षक, एस०सी०आई० डिस्टीलरी, रजौन, बाँका के अभिलेखों की फरवरी, 2008 में किये गये नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि डिस्टीलरी में दिसम्बर, 2005 से नवम्बर, 2006 की अवधि में 37,175 क्विंटल मोलासेस की खपत हुई थी ।

जिससे मानक के अनुसार आवश्यक 9,81,568.70 एल०पी०एल० शराब की प्राप्य मात्रा के विरुद्ध वास्तव में 5,94,113.16 एल०पी०एल० शराब की ही प्राप्ति हुई थी । इस प्रकार 3,87,455.54 एल०पी०एल० शराब की कम प्राप्ति के परिणामस्वरूप 35 रुपये प्रति एल०पी०एल० की दर से की गई गणना के अनुसार 1.36 करोड़ रुपये की राजस्व की हानि हुई ।

मामले विभाग एवं सरकार को मई 2008 में प्रतिवेदित किये गये थे, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अक्तूबर 2008)।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस कंडिका में यह आपत्ति है कि दिसम्बर, 2005 से नवम्बर, 2006 की अवधि में एस०सी०आई० डिस्टीलरी, रजौन (बाँका) द्वारा 37.175 क्वी० मोलासेस की खपत कर 5.94 लाख एल०पी०एल० शराब की प्राप्ति की गयी, जबकि मानक के अनुसार मोलासेस के उक्त मात्रा से 9.81 एल०पी०एल० शराब की प्राप्ति होनी चाहिए थी । इस प्रकार 3.87 लाख एल०पी०एल० की कम प्राप्ति के परिणामस्वरूप 35/– रुपये प्रति एल०पी०एल० की दर से 1.36 करोड़ रुपये राजस्व की हानि हुई ।

इस आपत्ति कंडिका के संबंध में विभाग का प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :––

(1) मोलासेस के स्प्रीट के कम उत्पादन के अनेक मामलों में संबंधित आसवनियों को डिमान्ड नोटिस दिए जाने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उन नोटिसों को रद्द कर दिए गए हैं, जिसके विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को बरकरार रखने की कृपा की गई है ।

सी०डब्लू०जे०सी० न० 6845/1989 एवं अन्य 12(बारह) रीट याचिकाओं में दिनांक 15 मई, 1996 को पारित आदेश तथा एक अन्य सी०डब्लू०जे०सी० न० 13927/2005 में पारित आदेश दिनांक 21 सितम्बर, 2006 सुलभ प्रसंग हेतु इसके साथ संलग्न है । सिविल अपील सं० 4618–4630/97 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है ।

(2) उक्त के अलावे सी०डब्लू०जे०सी० नं० 3025/92 में माननीय पटना उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश बेंच के द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2010 को पारित अपने आदेश में यह नियमन दिया गया है कि डिस्टीलरी सुषव का निर्माण करती है जो सीधे रूप में पेय नहीं है । अतएव उत्पादित सुषव तथा उसके किसी क्षति पर विभाग किसी तरह का कर/शुल्क/अर्थदण्ड नहीं लगा सकती है ।

अतः उपरोक्त मंतव्य को स्वीकार करते हुए इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है ।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 29 अप्रील, 2011 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर के आलोक में निष्पादित किया गया ।

(ह०) अस्पष्ट,
सभापति,
लोक लेखा समिति,
बिहार विधान–सभा, पटना ।

पटना :
दिनांक 28 मार्च, 2012 ।

संख्याः– लो०ले०स०–92 / 2012–13 / 16 दिनांक:– 18 मई, 2012

सेवा में

उप–सचिव,

बिहार विधान–सभा,

पटना ।

विषय – लोक लेखा समिति के प्रारूप प्रतिवेदन सं० 483, 485, 486 एवं 487 में सन्निहित आँकड़ों का सम्परीक्षण ।

प्रसंग ––आपका पत्र सं० 2 लो०ले०स० 16 / 12–557 / वि०स०, एवं 2लो०ले०स० 17 / 12–556 / वि०स०, दिनांक 26 अप्रील, 2012 तथा 2 लो०ले०स० 15 / 12–593 / वि०स० एवं 2लो०ले०स० 18 / 12–594 / वि०स०, दिनांक 27अप्रील, 2012 ।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) की निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेघ विभाग, भवन निर्माण विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित विभिन्न वर्षों की कंडिकाओं तथा आधिक्य व्यय के विनियमितिकरण पर लोक लेखा समिति का प्रारूप प्रतिवेदन संख्या 483, 485, 486 एवं 487 में सन्निहित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के आँकड़ों का सम्परीक्षण कर आवश्यक सुधार के पश्चात् इसे मूल रूप में लौटाया जा रहा है ।

अनुलग्नक :––प्रासंगिक पत्रों के अनुलग्नकों की मूल प्रति ।

विश्वासभाजन,

(ह०) अस्पष्ट,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी,

बिहार, पटना ।

बि०स०मु० (एल०ए०) 112 डी०टी०पी०–500

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2012